THE UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISION BILL, 1976

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Sir, I beg to move :

> "That the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Untouchability (Offences) Act, 1955 was passed in pursuance of Article 17 of the Constitution which has abolished 'untouchability' and has made its practice in any form punishable by law. The Act has been in force for more than 20 years. A Committee was appointed under the Chairmanship of Shri Elayaperumal to go into the working of the Act and on the basis of the recommendations of that Committee, a Bill was introduced in the Lok Sabha in April, 1972.

The Bill was referred to a Joint Committee of the two Houses. The Joint Committee went thoroughly into the various aspects and made many far-reaching changes. The Bill as reported by the Joint Committee has been passed by the Lok Sabha with a few amendments.

The name of the principal Act is being changed to 'the Protection of Civil Rights Act.' So, in future, the name of the Act will be the Protection of Civil Rights Act instead of the Untouchability (Offences) Act.

The present amending Bill considerably tightens the provisions relating to the removal of untouchability. Privately owned places of worship along with lands and subsidiary shrines appurtenant to such privately owned places of worship which are allowed by the owner to be used as places of public worship are being brought within the purview of the Act. The direct or indirect preaching of untouchability or its justification on historical, philosophical or religious ground is being made an offence. The compelling of any person to do any scavenging, sweeping removing of carcasses, flaying of animals or removing the umbilical cord is also being made punishable. The State Governments are being empowered to impose collective fines on the inhabitants of any area who are concerned in or abetting the commission of untouchability offences. All untouchability offences are cognizable. They will now become non-compundable and in cases where the punishment does not exceed three months, they can be tried summarily. The punishment of untouchability offences is being considerably enhanced and now both fine and imprisonment will be awarded for untouchability offences. For the first offence the minimum punishment will be one month's imprisonment and a fine of Rs. 100 and the maximum six months' imprisonment and a fine of Rs. 500. For the second offence, the minimum punishment is six months' imprisonment and a fine of Rs. 200 and the maximum, one year's imprisonment and Rs. 500 fine. For the third and subsequent offences, the punishment can range from one years' imprisonment with Rs. 500 fine to two years' imprisonment with Rs. 1,000 fine.

The significant characteristic of the present Bill is that public servants who wilfully neglect in the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act. Persons convicted of untouchability offences shall be disqualified from contesting elections to Central and State Legislatures. The Probation of Offenders Act will not supply to untouchability offenders unless they are below the age of 14 years.

Thus the Bill will have a diterrent effect in curbing the commision of untouchability offences. The Bill also contemplates surveys and studies for determining the areas where untouchability is practised, the setting up of Committees for implementing the

Act and the grant of adequate facilities to persons subjected to disabilities arising out of untouchability to enable them to avail of their rights.

Government is making every endeavour to uplift the Scheduled Castes and to ensure that the last vestiges of untouchability are completely eradicated from the country within the shortest possible time. Under the 20-point programme of the Prime Minister, various measures are being taken for the economic uplift of these down-trodden sections of the society. Most of them are agricultural labourers and petty artisans and for them, special measures for the grant of house-sites, agricultural lands, loans for settlement in trades, fixation of minimum wages and abolition of bonded labour are being undertaken so that their economic and social conditions improve and they are better able to assert their rights. The massive education programme for the Scheduled Castes both at the school stage as well as at the post-matric stage also helps them in improving their social and educational standards. The great strides achieved in filling posts in the country's public services at various levels have also contributed to raising the status of this community and also to giving them adequate strength to assert their rights. All these, together with the legal protection provided under the present Bill, will help in the complete eradication of this evil practice.

With these words, Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Now, there are 12 speakers in all. Therefore, under compulsion the Chair will have to restrict each speaker to 10 minutes and not a minute beyond ten. So, in all we will take two hours for the speakers and 15 minutes for the reply of the hon. Minister so that by 5-15 punctually we finish this Bill and take up the other Bill. We must go according to the schedule. There will not be the slightest departure from the schedule. Mr. Bhola Prasad.

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हू। समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल पर अमल करने की क्या सूरत हो सकती है और उसके लिये कैसे गारन्टी की जा सकती है। अछूत अपराध कानून को कितना भी सख्त बना दिया जाय, लेकिन उस पर अमल करने की जो मशीनरी है वह मुख्य तौर से मौजूदा पुलिस प्रशासन पर निर्भर करती है। यह देखा जाता है कि मौजूदा पुलिस प्रशासन में ज्यादातर आफीसर्स ऐसे है जो कि उच्च वर्ग से आये हैं, सामन्ती वर्ग से आये है। या हरिजनों पर जो जुल्म करने वाले लोग है, समाज में उनके असर में रहने वाले लोग है, इन्ही के द्वारा हरिजनों पर जुल्म होता है। हरिजनों को पुलिस के पास जाने में भी डर लगता है और अगर वह हिम्मत करके जाता भी है तो वहा उसको न्याय नहीं मिलता है, पुलिस का संरक्षण नही मिलता है। इसीलिये माननीय मंत्री जी ने अपने ब्यान में जिक्र किया है कि जब कि आज 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने का प्रोग्राम देश के सामने है और उस पर अमल करने के लिये कदम उठाया जा रहा है, तो इससे हरिजनों में बेशक एक उत्साह आया है, उनमे एक उभार आया है, अपने हक के लिये खड़े होने की शक्ति आज वह महसूस कर रहे हैं। लेकिन जहां पर एक तरफ गांव के गरीब खेत मजदूर जिनमें ज्यदातर हरिजन वर्ग से आते हैं उनमें उत्साह है, उभार है हक हासिल करने की तरफ और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को अमल में लाने की तरफ, तो दूसरी तरफ गांव के जो जमीदार है, भू-स्वामी हैं उनमें उतनी ही बोखलाहट है । आज वह हरिजनों के उभार को देखकर, उसकी जागृति को देखकर बौखलाये हुए है जैसे उनके कलेजे पर साप लोट रहे हों । ऐसी सूरत में महाजनों, जमींदारों की ओर से हरिजनों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। जब तक उनको यह गारन्टी नहीं दी जाती कि पुलिस का उनको संरक्षण दिया जायगा, अछूतों पर, हरिजनों पर जो जुल्म करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, तब तक वह आज भी अपने इन्सानी हकूक और अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते उनके साथ तब तक न्याय नही होगा जब तक आप यह न कर दें कि ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्ती

[श्री भोला प्रसाद]

से कार्यवाही की जायगी, न केवल उनका ट्रांसफर किया जायगा, जरूरत पड़ने पर, बल्कि उनको सख्त सजा भी दी जायगी जिससे वह समझे कि आज हरिजनो के हक में जो कानून हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को अमल में लाने के लिय गरीबों के लिए जो कानून है उन पर मुस्तैदी से अमल नहीं करते है और उसके विपरीत जो शोषक वर्ग, हैं, जमींदार हैं सामन्ती भू-स्वामी है और जो जुल्म करने वाले हैं, अगर उनका पक्ष लेते है, उनका साथ देते हैं तो हम भी सजा के मुक्तभोगी होंगें और हमें सख्त से सख्त सजा मिलेगी । जब तक यह इंप्रेशन आज के प्रशासन मे जो अफसर है, खास तौर पर पुलिस अफसर उनमें नही होगा तब तक न्याय उनके साथ नही होगा। आज तो इमरजेंसी में किसी का बहुत ज्यादा मान बढ़ गया है, और वह ज्यादा और भी करप्शन के शिकार हुए है, तो वह पुलिस का विभाग है। इसलिए हम सरकार से अर्ज करना चाहते हैं कि इस पर अलम करने के लिए आप गारन्टी करे और इसके लिए पुलिम असफर जो इस पर अमल नही करते हैं,जो हरिजनों को संरक्षण नही देते हैं, जो 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये खेत मजदूरो, हरिजनों और गरीबों को अधिकार दिलाने में उनका साथ नहीं देते हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही होगी।

साथ ही साथ सरकार दूसरी ऐसी भी

3 P.M. मशीनरी कायम करे जिसके बाद अगर पुलिस नही सुनती है, न्याय नही मिलता है तो वह हरिजन या गरीब अपनी मुश्किलें रख सके और उसके जरिये वह न्याय पा सके ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनो पर जुल्म बंद होना चाहिये । उनके ऊपर जो अत्याचार होता है वह बद होना चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि एक इंसान के जीने के लिये जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, वे जरूरी चीजें उन्हें मिलें। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। मिसाल के लिय पीने के पानी का सवाल है। हम गांवों-गांवों में देखते है कि खेत मजदूरों और हरिजनों के लिये अभी तक अपने कुएं नहीं बन सके है। उनके पीने के पानी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है अलग से, इसलिये उनको सार्वजनिक कुओं पर या जो ऊंचें वर्ग के लोग हैं उनके कुओं से पानी लेने के लिय जाना पड़ता है, खासतौर से उस वक्त जब कि हरिजन और गरीब लोग अपने हक के लिये उठ रहे है। उनमें उत्साह आया है इसलिये अपना सिर उठा कर चलना चाहते हैं । ऐसी सूरत में जब कि गांवों के भू-स्वामी धनी वर्ग बौखलाए हुए हैं उनके लिय वहां से पानी लाना मुश्किल हो गया है। हम आये दिन देखते हैं कि जब भी वे वहां से पानी लेने जाते है तो उन्हें एकदम रोक दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम हमारे कुओं पर पानी पीने के लिये मत आओ । ऐसी बहुत सी मिसाले हैं। इसलिये हम यह अर्ज करना चाहते है कि सरकार इस बात की गारंटी दे कि जल्दी से जल्दी हरिजन बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हम चाहते हैं कि दूसरे कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को भी शामिल कर लिया जाये । इसको लम्बा न खींचा जाये । सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि यह काम कुछ महीने के अंदर-अंदर हो जायगा।

इसी तरह से हरिजनों के आवास का सवाल है। यह सही है कि 20 सूत्री कार्यक्रमों के जरिये उनको घर के लिये जमीन देने की व्यवस्था की गई है । पहले भी ऐसा कानून बना था। 1948 में शायद यह कानून बना था कि जो हरिजन या गरीब किसी जमीन पर बसा हुआ है उसको वही पर बसने का अधिकार होगा। उसको वहां से हटाया नही जा सकता है । लेकिन अमलियत यह है कि 20–25 वर्ष बीत गये उस कानून पर अभी तक अमल नहीं हुआ है । जहां कहीं भी यह सवाल पैदा हुआ वही पर से हरिजनों और गरीबों को, जो दूसरों की जमीनों पर बस गये थे, उनको निकाला गया । पिछले वर्षो से जब से हरिजनों की ओर से, गरीबों और खेत मजदूरों की ओर से देशव्यापी आन्दोलन छेड़ा गया तब से यह भी एक बड़ा सवाल बन कर देश के सामने आया और उसके बाद से अमल भी होना शुरू हुआ । हम अपने राज्य में देखते हैं कि 1969 से लेकर जून 1976 तक सब मिलाकर 7 लाख मजदूरों को आवास की जमीन पर अधिकार दिया गया है लेकिन अभी भी कई मजदूर, हरिजन ऐसे हैं जिन्हें इस आवास की जमीन पर अधिकार

नही मिला है जिस जमीन पर वे बसे हुए हैं । अमलियत यह है कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह थोड़ी जमीन है और उसके अपने परिवार में वह खुद है, बेटा है, बेटी है, पतोहू है, मां-बहनें हैं । क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है और बाहर कही जा नहीं सकते इसलिए उनको वही पर गुजारा करना पड़ता है । जिस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग गांवो मे व्यतीत कर रहे हैं उसको इंसान की जिन्दगी नही कहा जा सकता है । हमारे बिहार के अन्दर जिसको मुअर का पखारा कहते हैं उस प्रकार की जिन्दगी हरिजन लोग व्यतीत कर रहे है । उनके रहने के लिए ठीक व्यवस्था नही है । उनके परिवार बहुत ही बुरी हालत मे अपनी जिन्दगी बिताते है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को जमीन दी जाय। जब तक उनको अतिरिक्त जमीन नही दी जाएगी तब तक उनकी हालत में सुधार नही हो सकता है । इस बारे में पिछले दिनों जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि जून के महीने तक 65 लाख लोगो को बसने की जमीन दी जा चुकी है । बिहार में जिन लोगों को जमीन दी गई उनकी संख्या 7 लाख है और सारे देश में जिन लोगों को वास की जमीन दी गई है उनकी संख्या 65 लाख बताई जाती है । इसमें पुराने और नये सभी लोग शामिल हैं । मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगो को वास की जमीन देने की आवश्यकता है । जिन लोगों के परिवार के सदस्यो की संख्या बढ़ गई है उनको अतिरिक्त जमीन देने की आवश्यकता है। अभी स्थिति यह है कि पहले तो काफी दिनों तक हरिजनों के लिए जमीन सेक्शन ही नहीं की जाती है और जब सेक्शन होती भी है तो दूसरे गांव या प्रखण्ड मे उनको जमीन दे दी जाती है । वहां पर वे लोग बस नही सकते हैं । मुझे मालूम है कि हरिजनों को इस तरह की जमीन अलाट की गई है जिसमें वे लोग बस नही सकते हैं । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को ऐसी भूमि अलाट की जाय जहां पर वे लोग आसानी से बस सकें और अपनी जिन्दगी ठीक प्रकार से बसर कर सकें ।

इसके साथ-साथ मैं बंधुवा मजदूरों की बात भी कहना चाहता हूं क्योकि इनमें ज्यादातर लोग हरिजन होते है । कहा जाता है कि पूरे देश में 58 हजार 4 सौ बंधुवा मजदूरों को मुक्त किया गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि इनकी संख्या और भी बड़े पैमाने पर है । हमारी बिहार की सरकार तो कहती है कि उनके यहां सिर्फ पलामू जिले के कुछ प्रखंडों को छोड़कर और कही भी बंधुवा मजदूर नही हैं । यद्यपि इस सबंध में केन्द्रीय कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ही बंधवा मजदूर माना जाता है । जो भी बंधुवा मजदूर है उनमे ज्यादातर किसी न किसी रूप मे हरिजन हैं । उनकी मुक्ति के लिए जब तक कोई ठोस व्यवस्था नही की जाती है जब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है । इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है उनके लिए कर्ज देने जल्द से जल्द कोई ठोस योजना बनाई जाये । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी एक्ट आप बनाये या उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था करें, जब तक आप उन पर ठीक प्रकार से अमल नही करेंगे तब तक हरिजनों की हालत में सुधार नही हो सकता है । सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा बल्कि हरिजनों की भलाई के लिए हमें जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat) : Mr. Vice-Chairman, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Kindly be brief.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, I will confine myself only to the Bill, I will not go into all the other details.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support and welcome this Bill introduced by the Home Minister. I congratulate the Home Minister for introducing such a revolutionary Bill. As I described it, it is really a revolutionary Bill in a way, because it has so many provisions which enable an untouchable to get those persons prosecuted who observe untouchability and it also enables him to protect himself against

[Shri Yogendra Makwana]

the possibilities arising out of untouchability.

Sir, first of all, I will like to refer to the title of the Bill. The title is changed and instead of "practising of untouchability", the words "preaching and practising of untouchability" have been used. Sir, those words look very simple, but they have a great effect. The word "preaching" is inserted before the word "practising".

The practice of untouchability was an offence in the principal Act. Now, preaching of untouchability also becomes an offence under this Bill. In the previous session and before that also, I have often remarked in this House against the religious heads of this country. Sometimes they make derogatory remarks against the Scheduled Castes. Sometimes they have preached untouchability. With the insertion of these words, Shankracharya of Puri and Doongri Maharaj or any other religious heads who were preaching untouchability will not be able to do it. They can be prosecuted under the present law. Sir, in sub-section (1) of section 1, the words "the Untouchability (Offences) Act" have been substituted by the words "the Protection of Civil Rights Act". This is also an important change in the principal Act because the civil rights of the so-called untouchables were not honoured by some of the people of this country. I do not mean all the people of this country. But some people who are orthodox and reactionary have been always attacking the untouchables.

Sir, another salient feature of the Bill is to be found in section 3(iii) of the Bill. Whereas the minimum punishment was fixed for one month or fine under the principal Act, the word "or" has been substituted by the words "and also" in the new Bill. This is a very significant change because fine has also to be paid over and above the punishment of imprisonment. It will become a sort of deterrent to those who are observing untouchability. As I have said in the beginning, mostly the religious heads are responsible for untouchability. As the change in the title is an important thing, so also Explanation II after Explanation I in section 7 is a very important explanation. It reads like this :

> "*Explanation II.*—For the purposes of clause (c), a person shall be deemed to incite or encourage the practice of "untouchability"—
>
> (i) if he, directly or indirectly, preaches untouchability or its practice in any form; or
>
> (ii) if he justifies, whether on historical, philosophical or religious grounds or on the ground of any tradition of the caste system or on any other ground, the practice of "untouchability" in any form."

Sir, these words are very important because all the religious heads have been describing untouchability as a part of religion as it is given in the religious books and sometimes they give some historical background to it. In the present day and in the present society, that background has been lost. Nowadays, the accepted principle is that every human being is equal. It has become an accepted universal principle. Therefore, such outdated discourses by the religious leaders should be banned.

Sir, there is also a provision under section 7(a) which gives an opportunity for untouchables to perform other occupations. In small villages, even the educated persons were asked to take the night soil on their head and to scavenge the streets. Sir, with this insertion of section 7(a), there is a ban on it. So, it will be a very good provision in the principal Act. Then, Sir, there is an insertion of an explanation at the end of Section 10. This is a most important explanation which is now inserted in the principal Act. It reads cut like this : "A public servant who wilfully neglects the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act."

Sir, in most of the cases of atrocities, we have seen that the public servants have

neglected their duty at the time of investigation. Even the HRs are changed at many places, and the public servants, specially the police officers, instead of investigating and prosecuting the offender, help the criminals. And the history shows that even one person was not punished during these 25 years. Now, Sir, with the addition of this explanation to the principal Act, I hope, there will be a good check on the police officers who will try to play mischief and evade their responsibility. (*Time bell rings*) I will complete within a few minutes, Sir. Sir, I described this Bill as revolutionary and I must justify why I called it a revolutionary Bill, and I congratulate the Home Minister. He should also recommend to give me some more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA): All of us should be precise and concise also.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, this Bill is really a very good Bill. Sir, so many provisions are included here and I cannot go into details. As you say, Sir, the time is limited I will throw some light on some of the general aspects of the Bill. There was a very good provision suggested by the Joint Select Committee under Explanation 2, after Section 10, which is now deleted. I do not know why it is deleted. The Explanation reads like this: "Any appointing authority, in relation to any service or post in connection with the affairs of, (a) the Union or any State Government, (b) the corporation or undertaking, owned or controlled by the Central Government or the State Government or by both, (c) any authority or body established by any Central, State or provincial Act, (d) any local authority, who show any negligence in giving effect to the orders of the appropriate authority relating to the reservation of posts for the employment of the members of the Scheduled Castes shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act." Sir, I would request the hon. Minister to accept this Explanation even now at this stage. I would like to invite his attention and the attention of the House to the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is the latest report for the year 1973-74 in which he has mentioned about recruitment to the Central Government services and other services in different States. I will not read the figures because they are very negligible. But I will read the remarks of the Commissioner. He says: 'The figures in this Table reveal that the representation of Scheduled Castes in these services is still far from satisfactory. The position regarding Scheduled Tribes is much worse.' Sir, these are the remarks made by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Why are these remarks there? It is only because the bureaucrats, the Government officers, who are the recruiting officers who sit in the committees do not like and do not observe the provisions relating to reservations. Recently, Sir, we had an occasion to examine the Delhi authority where some rules are framed. But they have recruited their sons and daughters and their relatives only and the percentage of recruitment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is not maintained. It is not only negligible but in some cases it is not at all there. No Scheduled Caste man is taken in the Delhi Administration authority.

Sir, I appreciate this Bill very much because I have also had occasions, as a political leader of my district, to suffer so many attacks by high caste Hindus in the course of elections and at several other times too. In the course of elections the Harijans became the victims particularly because they favour the Government or some party, especially the Congress Party which works for the upliftment of the Harijans and downtrodden people. That is why the Harijans who support the Congress Party in the interior parts are attacked. Several times in this House also. Sir, if you remember, the Prime Minister herself has given two examples of my own State and of my own district. In the course of the last elections, in a Christian locality in a village in Kaira District the houses of a large number of Christians, who voted for

[Shri Yogendra Makwana.]

the Congress, were put on fire and several families were burnt.

(Time Bell rings)

In the case of election of my wife we were attacked at so many places and we were not allowed to enter five villages and we lost the election only because of these things. Therefore, I say that this Bill is a revolutionary Bill and I heartily congratulate the Home Minister and the Prime Minister for introducing this Bill. It will be a red letter day in the history of India when it becomes an Act. With these words, Sir, I end my speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, सौभाग्य से मेरा जीवन ऐसे संगठन से सम्बन्धित रहा है जो छुआछूत, जाति-पांति, ऊंच-नीच की भावनाओं से संघर्ष करता आया है और इसीलिए जब सरकार इस प्रकार का विधेयक लाई है तो मुझे उस पर संतोष भी होता है और इसके लिए प्रसन्नता भी व्यक्त करना चाहता हूं। परन्तु साथ ही साथ मैं कुछ विरोधाभास भी देख रहा हूं। एक ओर तो सरकार अस्पृश्यता निवारण करने के लिए विधेयक लाई और दूसरी ओर कुछ इस प्रकार की सुविधाएं दे रही है जिससे अस्पृश्यता को और बल मिले उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले कहा गया था कि हरिजनों के लिए पृथक छात्रावासों की स्थापना की जा रही है। मेरा कहना यह है कि पृथक छात्रावास हरिजनों के लिए बनाये जायेंगे तो यह अस्पृष्यता का भाव समाज के अन्दर बराबर बना रहेगा। हमारा कहना यह है कि छात्रावास सबके लिए एक साथ होना चाहिए। उसमें हरिजन का छात्र भी रहे, सवर्ण का छात्र भी रहे। अगर इस तरह से छात्रावास पृथक-पृथक कर देंगे तो अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना जो हम मिटाना चाहते है और जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से हम कर रहे है वह मिट नहीं पायेगी। मै चाहता यह हूं कि इस बात पर गंभीरता से सोचा जाये और इस प्रकार से अलग छात्रावासो की व्यवस्था हरिजनों के लिये न हो? उनके लिये व्यवस्था अवश्य हो, लेकिन उसमे सब लोग रहें और जो दूसरे छात्रावास हैं उनमे भी हरिजन विद्यार्थी जाकर रहे और वहां सबका रहन-सहन खान पान, सब कुछ एक साथ हो, उनका पठन पाठन एक साथ हो। ऐसा होने पर ही हम अस्पृश्यता के विष से मुक्ति पा सकेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : अभी भी हरिजन छात्रालयों मे दस परसेंट लेते है, लेकिन कोई आता नही। शास्त्री जी, आप उनका प्रतिशत बढ़ायें ताकि वह छात्रालयो में आये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मै मकवाणा जी को कहना चाहता हूं कि मैं तो इस प्रतिशत वाली बात को ही समाप्त करना चाहता हू। दस प्रतिशत या पचास प्रतिशत की कोई बात छात्रावासों में नही होनी चाहिए। छात्रावासो मे सवर्ण विद्यार्थी भी रहे और हरिजन भी, उनमे प्रतिशत की बात रहनी ही नही चाहिए। अगर आप कहो प्रतिशत की बात रखते है हरिजनों के लिये तो उससे यह अस्पृश्यता बढ़ेगी, घटेगी नही। आप इस बात को थोड़ा सोचिये और अगर मेरी इस बात में कोई बल है तो उस पर फिर विचार करिये।

दूसरी बात जो हरिजन शताब्दियो से पद-दलित रहे है और सामाजिक और आर्थिक अधिकारो से वंचित रहे है उनके लिये सरकार ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है वह उनकी सख्या के अनुपात से है। मेरी अपनी इच्छा है कि उससे भी अधिक स्थान उनको सरकारी नौकरियों में और दूसरे स्थानो में मिले, लेकिन यह स्थान उनको हरिजन कहकर न दिये जायें। जब हरिजन कहकर किसी को कोई सुविधा दी जाती है तो उस पर एक प्रमाण पत्र लगा दिया जाता है। यह व्यवस्था मै समझता हू कि लम्बी चलने वाली नही है। मैं सरकार से भी ज्यादा अपने हरिजन भाईयों के सामने यह बात विचार के लिये रखना चाहता हूं कि अगर इस का कोई और विकल्प हो सकता है तो हमें सोचना चाहिए। जब हरिजन कह कर हम किसी को कोई सुविधा देते है तो उसके साथ हम एक प्रमाण पत्र लगा देते है। हमको सामाजिक एकरूपता का निर्माण करना है। चाहे नौकरियां हो, विद्यालय हो, स्कूल हो, छात्रावास हो या

जुडिशियरी हो, सबमें सबका समान रूप से प्रवेश होना चाहिए। नीति के तौर पर आप पिछड़े वर्ग के जो लोग है, जो पद-दलित हैं, उनके लिये जो अनुपात आप ने रखा है उसको आप बढ़ायें, लेकिन एक प्रमाण पत्र लगा कर उसको आप मत बढ़ाइये वरना यह होता है कि जो एक रेखा खिची हुई थी मनो में, ऊपर से तो वह मिट जायेगी, लेकिन मनों के अन्दर वह रेखा मिटेगी नही। इसलिये हमे इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए।

तीसरी बात, सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये आजकल जमीन देने का काम किया जा रहा है। लेकिन उपसभापति जी, हमारे देश में जमीन सीमित है और आज भी गावों में मैं देखता हूं कि जितने लोग है, जितने हरिजन हैं उन सबको जमीन मिली नहीं। अब कारण क्या है? कारण यह है कि जमीन तो उतनी मिलेगी कि जितनी खाली होगी या सीमा से अधिक होगी। इसलिये उनकी भूख तो जग गयी, और उनको भोजन मिला नही और इसलिये जिनको जमीन नही मिल पायी है वे भूखे के भूखे हैं। इसके लिये सरकार को यह करना चाहिए कि भूमि के बजाय कुछ दूध देने वाले पशु हरिजन परिवारों को दे दिये जायं। किसी को भैंस दे दी जाय, किसी को गाय दे दी जाये। उसका परिणाम यह होगा कि एक आदमी जिस को दो एकड़ जमीन आप देते है उस को पहले बैल खरीदने पड़ते है, फिर हल का इंतजाम करना पड़ना है, लेकिन अगर उस के स्थान पर उसके पास दूध देने वाले पशु हों और एक दिन मे आवश्यकता से अधिक दो सेर दूध भी वह पैदा कर लेता हो तो उस मे उसको आठ या दस रुपये रोज की आय हो जाती है। उस से वह बहुत आसानी से अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है। तो जिनको भूमि नहीं मिल सकी है उनके लिये मेरा कहना है गृह मत्री जी देखें और कृषि मंत्रालय से मिल कर किसी ऐसी योजना पर विचार करे कि जिस में दूध देने वाले पशु ऐसे परिवारो को दिये जाये और उस के बाद उनकी संख्या बढ़ाते चले जाये। बैंक उनको ऋण दे। ऐसा होने से श्वेत क्रान्ति की योजना को भी बल मिलेगा और उनकी हालत में सुधार भी हो सकेगा।

श्री इब्राहीम कलानिया (गुजरात) : हरिजनों का दूध आप लेंगे ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दिल्ली में जितना दूध आता है उसमें मोहर नही लगी होती कि वह हरिजन परिवार के यहां का दूध है या सवर्ण परिवार का। दिल्ली मिल्क स्कीम में तो सारा दूध एक जगह इकट्ठा हो जाता है और हमारे यहां देहातों में भी अब यह भावना भी नही रही। गुजरात में ऐसा हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और हरियाणा में अब यह बात नही है। दूध हरिजन परिवार का है या सवर्ण परिवार का है, यह शायद गुजरात में होता होगा। वहा इस प्रकार की दुर्बलता होगी, लेकिन यहा इस प्रकार की दुर्बलता नही है। अगर है तो इस तरह के कानून उसमें मदद करेंगे।

श्री ओम् मेहता। यहा दूध की क्या बात है, खून भी एक ही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री. दूध के बाद ही तो खून बनता है, वह भी एक ही है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज गृह मंत्रालय इस बात के ऊपर विचार करे, इस तरह का एक बिल हम पहले पास कर चुके है जिसमें कुछ जातियों के क्षेत्र आपने बढ़ाये है। एक विधेयक हम यह पास करने जा रहे है कि अस्पृश्यता को हम कानून के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं और समाज मे भी उस तरह का भेदभाव समाप्त करना चाहते है। लेकिन हरिजन के नाम पर जो सुविधायें मिल रही है, मेरा अपना अनुमान है, गुजरात के हमारे मित्र बतायेगे और भी राज्यों के लोग बतायेगे कि हरिजनो की सुविधायें भी, गांवों मे मैंने देखा है कि कुछ परिवार तक सीमित है। उनमें पढ़े लिखे लोग और जो समृद्ध परिवार हैं वह उसका लाभ उठा रहे है। सामान्य हरिजन इन सुविधाओं से वंचित है। होना यह चाहिए कि जो आदमी सरकारी सर्विस में मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर हो गया है जिसकी आय 500 रुपए से अधिक है वह इससे हटा दिया जाए। लेकिन जो दूसरे लोग है उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए। जो गरीब है, जो भी हरिजन या इस प्रकार का वर्ग है वह बेचारा आज भी नही जानता कि सरकार की क्या सुविधायें उनको मिलनी चाहिएं। उन तक यह बात

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पहुंच नहीं पाती। मैं चाहता हू कि जरा गंभीरता से इस बात को देखा जाए कि किस तरह से इसका लाभ उन लोगों को पहुंचाया जा सकता है।

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस काम में आप समाज-सेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करें। जैसे रामकृष्ण मिशन के लोग हैं या स्वामी विवेकानन्द सोसायटी के लोग हैं या आर्य समाज के लोग हैं और दूसरे भी इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सैद्धान्तिक दृष्टि से इस को उस समय से अपने हाथ में लिया है जब यह देश स्वतंत्र भी नही हुआ था। उन्होने प्रारम्भ से ही इसको समाज के लिए एक विष मान कर कार्य किया है। इस तरह के सगठनों का सहयोग भी सरकार को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि इस विष से देश सदा के लिए मुक्त हो जाए।

अन्तिम बात जिसको मैं कह कर बैठ जाना चाहता हू वह यह है कि मेरा यह हार्दिक विश्वास है कि अगर इस देश से छुआछूत की बीमारी को मिटाना है तो यह तब तक मिट नही सकती जब तक सवर्ण जाति के लोग अपने नामों से जातिवाचक शब्दों को लगाना नही छोड़ेंगे। नामों के साथ जातिवाचक शब्दो के लगने से एक रेखा खिची हुई है। अभी भी मै आल इडिया रेडियो सुनता हूं तो अनाउन्स करने वाले लोगों के नामों के साथ भी जातिवाचक शब्द लगे रहते हैं, फिर जिसका ये अनाउंस करते हैं उनके साथ भी जातिवाचक शब्द लगते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस 25 सूत्री कार्यक्रम में मैंने देखा कि जातपांत का विरोध करने के लिए भी एक सूत्र उसमें दिया गया है। लेकिन उस सूत्र की व्याख्या इतनी अवश्य कर दी जाए कि इस देश से जांतपांत तब समाप्त होगी जब लोग अपने नामों के साथ जांत-पांत लगाना छोड़ेंगे। पहले कदम के रूप में इतना तो कम से कम काम करें, आप शिक्षा मंत्रालय को आर्डर दीजिए कि पहली और नर्सरी क्लासेज में जो छोटे-छोटे बच्चे दाखिल होते हैं उनके नाम के साथ जाति-सूचक शब्द नही लगाया जाएगा। बचपन से यह जाति-सूचक शब्द लग कर उनके मन में जाति का मोह जगाता है और बड़े होकर वह जाति-सूचक शब्द उनके नाम का एक अंग बन जाता है।

श्री एन० एच० कुम्भारे (महाराष्ट्र) : आपने सिर्फ एक पहलू कह दिया है। दूसरे पहलू को आपने छोड़ दिया है। हम जाति का नाम नही रखेंगे तो सामने वाला आदमी यह जानने की कोशिश करेगा कि यह कौन जाति का है। जब पता लगेगा कि शैड्यूल्ड कास्ट का है तो उसके मस्तिष्क के कडे उसको काम नही करने देंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरी बात को मेरे मित्र ने सुना नही, मैं यही कह रहा था। हमारे समाज मे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले, जाति के नाम पर किसी से किसी की आत्मीयता प्रकट होती हो या स्नेह का संबन्ध पैदा हो, ऐसी भावनाओं के अंकुर जहां भी और जिस तरह से भी पैदा होते है वह सारे के सारे नष्ट किये जाने चाहिएं। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूं।

(Time Bell rings)

श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : श्री वेंकटस्पायन। मेहरबानी करके 10 मिनट ही लीजिए।

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to extend my wholehearted support to this Bill. The Bill has been brought forward after a very careful consideration by the Joint Committee of the two Houses. At the same time, I consider that this Bill is a little belated. But it is a step in the right direction to end the scourge of untouchability. The Bill removes all the vagueness that was there in the earlier Act. The clauses have been so framed that there is some definiteness in regard to the action to be taken. It also lays a firm hand on those who would act against the spirit of the Constitution. I support the provision made in this Bill particularly for imposing collective fines. As I see it, untouchability has assumed a very acute form during the last three to four years. There are social boycotts, burning of huts of Harijans and even murders. So, this provision of collective fines is really a provision which will go a long way to see that this course is ended. The provisions are

certainly very stringent but there should also be other measures which must be taken by the Government as such. I should say that the hon. Home Minister should issue directives to all the State Governments to have a special cell in their respective Home Departments.

Secondly, there should be vigilance committees at district level and they should have Member of Parliament as Chairman and the Collector as the Secretary of that committee. It is because I have the experience of such a vigilance committee. We have tried to see that offences of this nature which come under untouchability have become less.

Thirdly, I would like to say that this social evil is still much deep-rooted. According to whatever information I have, I would like to point out that the extent of atrocities committed during these years has increased. I would like to give figures of atrocities committed during the years 1972, 1973 and 1974 and this information has been given by the Home Ministry in a reply given in the Rajya Sabha on 27th February, 1975. I will only quote a few figures from two or three States. I will take my State first. In Maharashtra during 1972, 124 atrocities have been committed. In 1973 the number was 223 and in 1974 it was 277. This shows that the number has gone up year by year. Similarly, in Gujarat the number in 1972 is 246, in 1973 it is 248 and in 1974 it is 352. In Uttar Pradesh the figure is still rising high. The number in 1972 is 567, in 1973 it is 1179 and in 1974 it is 1178. So, this is still a deep-rooted malady and we will have to take other measures along with these stringent provisions to combat the menace. We shall have to undertake intensive promotional activity also. I will suggest that incentives must be given to those villages who have freed themselves of this particular malady of untouchability. There are a number of villages who have declared that there is no untouchability in their villages. All the communities have come together in gram sabhas and declared so. We should give some incentives to such villages. Similarly, there are some social workers, not of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who are working in the field for the welfare of Harijans, for ending untouchability. They must also be given some special awards by the State Governments. Then, there are provisions made in our State. We have Zila Parishads. There are provisions for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But our experience is that these provisions are not spent. Not only they are not spent but the provisions are transferred to some other measures which do not help the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I have figures from Maharashtra which go to show that 10 Zila Parishads, despite the provision being there for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, have spent zero per cent. Seven Zila Parishads have spent one per cent, four have spent one to five per cent and three have spent five to ten per cent of the provisions that were made in the Zila Parishad budgets. So, this aspect also should be gone into in each State and a directive should be issued by the Home Ministry that whatever provisions are made for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be spent on their welfare. Rather I would suggest, Sir, that these provisions should be earmarked and the allocations should not be transferred to any other department as such.

Then the question of untouchability has taken a new dimension and that dimension has an economic aspect also. Under the 20-point economic programme we are now helping the economically weaker sections, and amongst the economically weaker sections the percentage of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is as high as 50 per cent at some places and even 70 per cent at some other places because they are all landless labourers. Naturally because of the measures which are there under the 20-point economic programme, those who are going to benefit under them are coming into clash with the landed, vested interests in the rural areas. The question of untouchability has taken a new dimension and therefore it is necessary that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders must organise a massive

[Shri S. K. Vaishampayen.]

movement by forming a united front with the other economically weaker sections so that all the economic injustices that are being done to these poorer sections in the rural areas are ended. And if all these measures succeed—the measures under this Bill, other promotional measures and also a movement by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and their leaders with a common united front with the other economically weaker sections in the rural areas—the day of deliverance is not far off. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : Thank you, thank you.

श्री रोशन लाल (हिमाचल प्रदेश) : जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, छुआछूत को जुर्म करार देने पर मैं श्री ओम मेहता साहब को मुबारकबाद देना चाहता हू। साथ ही मैं प्राइम मिनिस्टर साहिबा को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने यह ड्रास्टिक स्टेप उठा कर इन गरीब लोगों को जो सदियों से मुताासर थे, राहत दिलाई है। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है कि छुआछूत को हम सिर्फ कानून से दूर नही कर सकते है। आज जरूरत इस बात की है कि लोगों के दिलो-दिमाग को तबदील किया जाय। मैं समझता हू कि दिलो-दिमाग की तबदीली का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा अभी शास्त्री जी ने दो तीन सुझाव दिये है, मैं भी उनकी पूरी ताईद करता हू कि हर एक आदमी को अपने नाम के आगे से पांडया, शर्मा वगैरह कास्ट्स संबधी बातों को हटा देना चाहिए। कोई किस जात का है, यह बात नाम के साथ नही होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कह देने से यह मसला हल नही हो सकता है। इसके लिए लोगों के दिलो को टटोलने की जरूरत है। जब तक हमारे दिल साफ नहीं हो जाते है, तब तक मसला हल नही हो सकता है और न ही हमे इसमे कामयाबी मिल सकती है।

इस बारे मे मुख्तसर तौर पर मै यह कहना चाहता हू कि अभी हाल के जमाने में हम तीन दौरो मे गुजरे है। एक दौर तो गांधी जी का आया और फिर उसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू जी का दौर आया और आज इदिरा जी का जो दौर चल रहा है उसको मैं इससे पहले के दौर से बा-वस्ता करता हू। आप जानते हैं कि गांधी जी अपनी जिन्दगी भर जांत-पांत, काम्युनेलिजम और कास्टिजम बारबैरिम सिस्टम के खिलाफ सारे हिन्दुस्तान मे जद्दोजहद करते रहे। आखिर में उन्होंने इसके लिए अपनी जिन्दगी भी कुरबान कर दी। उसके बाद पडित जवाहरलाल नेहरू जी का जमाना आया। उन्होंने समाज मे सब को एकसा तरजीह देने की कोशिश की। आप जानते है कि गाधी जी ने पडित नेहरू को अपना जॉ नशीन बनाया और देश की बागडोर उनके हाथों में सौप दी। पडित नेहरू ने हमारे मुल्क के लिए एक आईन बनाया जो 26 जनवरी, 1950 को कौम के सामने आया। उस वक्त यह कहा गया कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते है, जिसमें सब को बराबर के हक होगे और हम इस आईन पर अमल करेगे। जिसकी बुनियादे कोआपरेटिव बेसिस पर होंगी, जिसमे हर शख्स को बिना किसी लिहाज—मजहब, अकीदा, ख्यालात, जांत-पांत, रगों के नस्ल—के सब को एक से हकूक होंगे, अगरचे हर कसो नाकस बराबर का होगा, उस आईन के अन्दर गारंटी दी गई, लेकिन बदकिस्मती से साढे 26 साल गुजर गये और हम उस पाये तकमील तक नहीं पहुंच पाये जिनके लिये काबले-फरवर काबिल नेता चाहे गांधी जी हो, पडित जवाहरलाल नेहरू हो, ने एहतिमाम किया। अब इस जमाने के दौर के अन्दर मुल्क की समाजी इक्तसादी हालत बेहतर करने के लिये तजवीज की, लेकिन जो टोडी लोग, जनसंघी या फिरकेवाराना लोग थे, उन्होने उनकी मुखालिफत की। मै पिछले 5-6 सालों के दौरान भी इस हाउस मे था, इस हाउस मे शोरो-शराबा और गाली-गलौज पर लोग उतर आते थे। यह इस हाउस की ही तौहीन नही थी बल्कि उससे देश का वकार नीचा होता था। चुनाचे हमने देखा कि इन्दिरा जी ने जो हमारे पुराने रस्मो-रिवाज चले आ रहे थे, इस देश में, उनको बदलने के लिये कदम उठाया। यह देश कुर्बानियों का देश है। यहा अजीम कुर्बानियां दी और त्याग किये। जब जब जुल्म व तशद्दुल व बरबरियत का दौरदौरा होता है तो कोई न कोई महान शक्ति रूनुमा होती है। चुनाचे इस मौजूदा दौर में जब धर्म और अधर्म की लडाई शुरू हुई, इन्सानियत के लिये कोई भूत बन कर खतरा पैदा हुआ तो इन्सानियत के लिये कोमै फर्ज रखने के लिये कोई अजीम शक्ति रूनुमा

होती है। चुनाचे श्रीमती इदिरा गांधी ने इन तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लिया और इस देश का जो जमहूरी निजाम था उसकी कद्रों को पामाल नही होने दिया, बल्कि उनको जमहूरी जाब्तों और कायदों के बरुएकार लाकर चन्द एक अहम तरमीम शुदा एक दामाद इन में इस अहम तरमीमात के जरिए हाउस मे लाई।

इस देश मे कई हजार वर्ष पहले चाहे वह बैरूनी ढाचे और बैरूनी मदाखलत का असर हो, बाहर के लोग आये और उन्होने हमारे तमाम मजहब और तहजीब को बरबाद किया, चाहे वह यहा के लोगो की खुदगर्जी की वजह से हुआ हो।

(Time Bell rings)

अपने चद अल्फाजो के साथ मै खत्म करता हू।

इसका असली बुनियादी कारण हमारी गुलामी थी। हम चाहे राजाओं के गुलाम थे और चाहे किसी और बैरूनी ताकत के गुलाम थे। एक शेर मै अर्ज करना चाहता हूं, फारसी में है:

गर शैरोज रागोयल शबअसतई
बबायेद गुफ्त ईनख महाप्रवी

जब बादशाह अपने दरबारियों को दिन को रात कहता है तो सब दरबारी एक जबान होकर कहते थे ऐ आली जहांपनाह (आसमान की तरफ उंगली उठा कर) वह सामने ऊपर चाद और तारे नजर आ रहे है। हमारे देश की यह हालत रही कि यहां पर चार आदमी डोमिनेट करते रहे इस देश को--एक पुजारी और भण्डारी, एक मंत्री और दूसरा संतरी। पुजारी पण्डित लोग जो थे उन्होने ऐसा आईन बनाया कि जिसने सारी कोम को मुखतलिफ जजीरों मे जकड डाला कि उससे बाहर कोई निकलने न पाए। भण्डारी वे थे जो बाहर से खेती का सामान, खाने का सामान राजा के दरबार मे आता था, उसको तकसीम करते थे और मत्री वे थे जिन्होने अपनी लड़कियों के रिश्ते उन राजाओं से किए। उनमे दूसरे जो लोग थे नातेदार, रिश्तेदार, वे सतरी बन गए। तो ये चार लोग डामिनेट करने लगे और जो खेत मजदूर था वह उसी खानदान से चला आता रहा जो खेती का काम करता था। वह इतना पसमांदा हो गया कि उसे आईनी, मयाशी और समाजी और अखलाकी कदरों से महरूम रखा गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह इक्तसादी तौर पर आज भी पसमांदा है। इसलिए अगर आप चाहते है सही मायने मे एक सही इंसाफ लाना चाहते है तो आपको जैसे प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गाधी जी ने निहायत जरूरत-मंदाना, निहायत आला इकदामात निहायत समझदारी और आला टैक्नीक के साथ, जमहूरी कद्रों को साथ रख कर ये कदम उठाए है उसी तरह से आवाम को तब्दील करने के लिए भी कुछ कदम, नए कदम, उठाने पड़ेगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) अब बैठ जाइए। श्री विश्वम्भर नाथ पाडे।

श्री रोशन लाल तो मेरा कहना है कि . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री लोकनाथ मिश्र) : 12 मिनट आपके हो गए है। दूसरो को भी बोलना है।

श्री रोशन लाल फिर मैं यह कहना चहाता हूं कि महज कानून बनाने से नही होगा। अगर आपने आईन मुरत्तब कर दिया और समझ लिया कि हमने तो कामयाबी हासिल कर ली तो मैं समझता हू यह कामयाबी नही होगी। जमाना जो है उसमे अब उनका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है, वे ज्यादा इंतजार नही कर सकते है। समाज ऐसी तब्दीलिया लाना चाहता है और अगर वे तब्दीलिया नही की गई तो समाज से कानून के बधन टूट जाते है और उससे इन्सान एक खूखार अजदा शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसलिए अगर जमहूरियत को कायम रखना है, समाज को कायम रखना है, तो आपको जमहूरी तरीके के साथ इस कानून को इम्प्लीमेन्ट कराने में पूरा जोर सरकार को देना चाहिए।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्देशित) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल हाउस के सामने पेश है मै उसका समर्थन करता हूं लेकिन बड़ी अदब के साथ एक बात कहना चाहता हू कि जब तक इस मसले का कोई बुनियादी हल नही निकालते तब तक यह मसला हल नही हो सकता। मै थोड़ी सी मिसाले देकर इस चीज को साफ करना चाहूगा। जब गाधी जी ने हरिजन आंदोलन शुरू किया तो बहुत से भाइयो के दिलो मे यह बात आई कि उन्हे खान-पान के झगड़े

[श्री विश्वम्भर नाथ पाडे]

तोड़ने चाहिए और इन बंधनों से ऊपर उठना चाहिए। हरिजन क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे थे उन में जस्टिस शंकर सरन भी एक थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे; उनके मन में ऐसा आया कि हमें खान-पान के झगड़े तोड़ देने चाहिए। मुझ से उन्होंने कहा तो मैंने कहा आप ठीक कह रहे है। एक दावत उन्होंने कुबूल की मेहतर भाई के यहां लड़की की शादी की। उन्होंने यह कहा कि हम पगत के साथ बैठ कर खाएंगे। मैंने कहां, मैं तो पहले से ही खाता आ रहा था, आप में नया जोश है, जरूर पंगत के साथ आप खाइए। पगत में बैठ कर खाया हम लोगो ने। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक पुण्य कार्य किया और हिन्दू धर्म के कलंक को--जहा तक उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध था --उन्होंने धो डाला। दूसरी मर्तबा फिर एक दावत मिली एक मेहतर भाई के यहा। वहां गये, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पंगत के साथ बैठ कर खिलाया जाय लेकिन वे लोग टालते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या बात है, ये लोग हमको पंगत में क्यो नही खिलाते। दरियाफ्त करने के बाद मैंने उनसे कहा कि इनको यह शिकायत है कि आपने बादा टाट बिरादरी वालों की पंगत में खा लिया, इसलिए हेला टाट वाले आपको कैसे अपनी पंगत में खिला सकते हैं। छुआछूत का यह एक अटूट सिलसिला है। जैसा भाई प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा, जाति-पाति का एक सिलसिला है जो ऊपर से चला आ रहा है और नीचे तक चला आया है। जब तक जाति-पाति के बन्धन नही टूटेंगे तब तक कोई बराबरी का दर्जा नही हो पायेगा। अस्पृश्यता केवल द्विजों और सो-काल्ड हरिजनो के बीच में ही नही है। अस्पृश्यता हरिजनों और हरिजनो के बीच मे है, अस्पृश्यता ब्राह्मणो और ब्राह्मणो के बीच में है।

1924 मे गांधी जी ने मेरे सुपुर्द यह काम किया कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हिन्दी सिखाने का काम करूं। मैं उनके गृह-नगर सेलम गया। वहां जाकर पहले दिन मैंने उनके लिए कुछ नोट्स बनाये। उनका बाहर का घर जरा दूर था, बीच मे बड़ा लम्बा लान था, उसके बाद उनका भोजनालय था। भोजनालय में इत्तिफाक से, गलती से मै अपने नोटस छोड़ आया जो उनको साढ़े 3 बजे तीसरे पहर पढ़ाना था। जब मुझे याद आया तो मै 2 बजे वहा गया। मेरी निगाह पड़ी, उनके बड़े भाई भोजन पर बैठे थे, वे वेदपाठी ब्राह्मण थे। ऋग्वेद के दसों मण्डलों का पाठ करने के बाद वे एक बार भोजन करते थे। मैं वापस आ गया। जब राजाजी को पढाने बैठा तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई को तुमने भूखा मार दिया। मैंने कहा 'वह कैसे'? उन्होंने कहा कि जब वे भोजन करने बैठे तो तुम वहां गये। मैंने कहा कि मैं गया था, मेरी नजर उन पर पड़ी। लेकिन मैं बहुत दूर था। उन्होंने कहा कि वे तो दृष्टि दोष मानते है। मैंने कहा कि मैं तो उत्तर भारत का एक बहुत ही पवित्र ऊंचे किस्म का ब्राह्मण हू और मैंने उतनी दूर से उनको देखा। उन्होंने कहा कि वे तो उत्तर भारत के ब्राह्मणों को बराबर का नही मानते, उनको तो दृष्टि-दोष लग गया।

1946 मे काजिरखेल इलाके मे नोआखाली में जबरदस्त हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ। हमें उसका पता नही था, बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने कहा कि मालवीय जी बीमार है, चलो उनको देख आयें। सवेरे 5 बजे वे मुझे अपनी गाडी में बनारस ले गये। वहा जाकर हमने देखा कि मालवीय जी विश्वविद्यालय मे अपने भवन में बैठे हुए थे बहुत उदासी से भरे हुए। गोपीनाथ कविराज, आचार्य क्षितिमोहन सेन, विश्वभारतीय के प्रिंसिपल, सब बहुत ही गमगीन, उदासी से भरे हुए बैठे थे। टडन जी ने पूछा बाबू जी, क्या बात है। मालवीय जी ने कहा कि तुमने आज का अखबार नही देखा, नोआखली मे क्या हुआ काजिरखेल के इलाके मे। पढ़ा उन्होंने, उन्हे दुःख हुआ। लेकिन आचार्य क्षितिमोहन सेन ने कहा, मालवीय जी महाराज, इसके पीछे एक बड़ी लम्बी ऐतिहासिक कहानी है और उन्होंने बताया कि वह कहानी यह है कि पूर्वी बंगाल मे जो गांव हैं उनमें हालत यह है कि एक गाव मे खाली कायस्थ रह रहे है, एक गांव में खाली ब्राह्मण मुखर्जी, बनर्जी रह रहे हैं, एक गाव मे नमः शूद्र रह रहे हैं, एक गांव में खाली मुसलमान रह रहे है। कोई मुसलमान ढाका गया, वहा से कुछ खा पी कर आया, उसे हैजा हो गया। उसके कपड़े वही धोये गये तालाब में, पोखर में। नतीजा यह हुआ कि उस गाव भर के लोग हैजे से इतने आक्रान्त हुए--दूसरे गावों से जो उनके रिश्तेदार आये थे, वे भी अपने साथ-साथ हैजा ले गये--कि मुसलमान गांवों में हजारो की तादाद में लोग मर गये। बचा कौन ? छोटे-छोटे बच्चे 6 महीने के,

9 महीने के, एक साल के, डेढ़ साल के बच्चे। आस-पास के हिन्दू गाव वालो ने सोचा कि इन बच्चो का क्या होगा। एक-एक हिन्दू परिवार ने एक-एक बच्चे को पाल लिया। नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन हजार बच्चे आस-पास के हिन्दू गांवो के परिवारो ने पाल लिये, उनके लिए खेतीबाड़ी का इन्तजाम किया। दो वर्ष, चार वर्ष, पाच वर्ष के बाद ढाका के एक मौलवी साहब आये। उन्होने पूछा कि यहा हमारे मुरीद रहते थे, उनका क्या हुआ। मालूम हुआ कि उनके सब मुरीद सख्त हैजे में चल बसे। क्या कोई बच्चा है? लोगो ने बताया कि हां बच्चे बचे है। पूछा कहा है? कहा कि आस-पास के हिन्दू गाव है, उन मे है। जब वे वहां गये और मौलवी साहब ने उन लोगो से पूछा कि आप के यहा वे बच्चे है तो उन्होंने कहा कि हां, और बच्चे को आवाज दी ओ अब्दुल रहमान, तोर पीर साहब ऐशेचेन। उन्होंने बच्चे को देखा, पूछा कि इस का घर, जायदाद वगैरह कहां है? बताया गया कि सब का इंतजाम है। सारा एकाउन्ट है। आप बच्चे को भी ले लीजिए और जायदाद भी ले लीजिए। हम ने इसकी सारी खेती बारी सम्हाल रखी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन की खेतीवारी नहीं लेना चाहते। परिणाम यह हुआ कि ढाका लौट कर जब शुक्रवार के दिन उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी तो कहा कि नोआखली के हिन्दू इनसान नही है, फरिश्ते है और उन्होंने तमाम लोगो से कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो कि वह इन हिन्दुओं की बढती करे। उन का घर फूले-फले। यह खबर नदिया के ब्राह्मणों ने अखबारों में पढ़ी। नवद्वीप के ब्राह्मणो ने इस के लिये एक पडित सम्मेलन बुलाया और तीन दिन की बहस के बाद एक फैसला दिया। उन लोगों से पूछा गया कि उन बच्चो को छूने के बाद तुम्हारे घर की स्त्रियां रान्नाघर यानी रसोई में, नहा कर जाती थी, तो उन्होने कहा कि 6 महीने के बच्चे को छूने के बाद बार-बार अगर पोखर पर नहाने जाना पड़े तो सारा दिन इसी में खत्म हो जायगा। वह तो रान्नाघर में, चौके में जाती थी इसी तरह। इस बात को सुन कर पंडित सम्मेलन के लोगों ने फैसला दिया कि जिन हिन्दू परिवारो ने अपने घरों में उन बच्चों को पाला है उन को जाति च्युत किया जाय। उन की लड़कियो को और उनकी बहुओं को जो इस अवधि में ससुराल से आयी है या मायके को गयी है उन परिवारो के लोगो को भी जाति च्युत किया जाय। वे सब परिवार जाति से बाहर कर दिये गए। परिणाम यह हुआ कि उन नवद्वीप के पडितो ने तीन दिन के बाद यह व्यवस्था दी कि जिससे पचास हजार हिन्दू हिन्दू समाज से लात मार कर बाहर निकाल दिये गये।

इस छुआछूत, इस अस्पृश्यता ने न केवल हरिजनो को ही परेशान किया, बल्कि इसने पूरे हिन्दू समाज को जकड़ रखा है। जैसा कि हमारे भाई प्रकाशवीर जी ने कहा कि जब तक हमारे देश मे जातिभेद रहेगा, तब तक इस का कोई इलाज नही निकल सकता। आज कैफियत यह है कि यह जाति भेद न केवल हिन्दुओं मे है बल्कि यह मुसलमानो मे भी है, यह सिखों मे भी है और यह ईसाइयों मे भी है। 1873 मे पोप ग्रिगरी से केरल के नम्बूदरी ईसाइयो ने शिकायत की कि हम नही चाहते कि एडवा ईसाई हमारे गिरजे मे आये। तो उस के बाद, 1876 मे पोप ग्रेगरी ने इस बात का ऐलान बुल, जारी किया कि कोई एजवा ईसाई नम्बूदरी गिरजे मे नहीं जायगा। तो आज हालत यह है कि इस जात-पांत ने हम लोगों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। लेकिन यह हमेशा से नहीं थी। आप देखे पराशर स्मृति, आप देखे याज्ञवल्क स्मृति, आप देखे बोधायन स्मृति, कही भी इस का समर्थन आप को नही मिलेगा। कुरान मे लिखा है कि सब इंसान बराबर है। कोई बड़ा नही, कोई छोटा नही। बाइबिल कहती है—सब इंसान बराबर है। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। तब फिर यह बड़े और छोटे की भावना क्यों? फिर क्यों यह जात-पात की, छुआछूत की और अस्पृश्यता की भावना फैली? इलाहाबाद मे हमारे एक प्रोफेसर थे नईमुर्रहमान साहब। उन्होंने एक बहुत लम्बी फेहरिस्त रखी थी। मैंने एक दिन कहा कि यह क्या है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग भटनागर कायस्थ हैं। फिर हम लोग मुसलमान हुए। तो जब हम अपने बच्चों की शादिया करना चाहते है तो इसी फेहरिस्त से ढूंढ कर शादी ब्याह करते हैं। भटनागर भटनागर में शादी होती है,

[श्री विश्वम्भर नाथ पाडे]

हम बाहर शादी नहीं करते। तो यह रोग न सिर्फ हिन्दुओं में है, न सिर्फ मुसलमानों मे है, न सिर्फ ईसाईयों में है, बल्कि पूरे समाज के भीतर है। एक जमाना था कि जब बगाल में जात-पात बहुत थी और उस समय कहा जाता था कि जान मारले तीन सेन—विलसेने, केशवसेने, स्टेसेने अर्थात् विल्सन के होटल ने, केशव सेन के ब्रह्म समाज ने और रेल के स्टेशन ने सारी जात-पांत को तबाह कर दिया। फिर बृहद् समाजों भी अपने जाति में ढूंढ कर शादी व्याह करने लगे और हर जाति का उसी जाति मे काम होने लगा। तो इस लिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को सोचे और गभीरता के साथ सोचें। यह रोग ऐसा है जिसने इस देश की जड़े खोखली कर दी है। कब तक हम इस खोखलेपन को बर्दाश्त करेगे? कब हम इसका एक परमानेंट इलाज निकालेगे, जिससे कि पूरे समाज मे चेतनता आये और यह समाज डेमोक्रेसी का सच्चे माने मे उपभोग कर सके।

इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हू कि इस बात को देखें कि यह कैसे किया जा सकता है और जैसा प्रकाशवीर शास्त्री जी ने सुझाव दिया है, एक व्यापक बिल इसके लिए लाये। जब तक इसका व्यापक रूप से इलाज नही निकालेगे--आप इलाज कर रहे है, ठीक है--लेकिन उसके असर गहरे नही होगे, गहरे नतीजे नही निकलेगे गहरे नतीजे तब निकलेंगे जब हम कोई स्थाई इलाज करेगे।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत (राजस्थान) . उपसभाध्यक्ष जी, जो बिल हमारे सामने है, उसका मै तहेदिल से स्वागत करती हूं। यों तो पहले भी ऐसे कानून बना रखे थे, लेकिन उनमें और मजबूती लाने के लिए आज जो कुछ चन्द लाइने जोड़ी गई हैं उनका मैं स्वागत करती हूं। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में यह शंका भी है कि क्या आज की जो जोड़ी हुई चन्द लाइने हैं, वह समाज के अंश-अंश मे व्याप्त इस जहर को हटा सकेंगी। यह जो छुआछूत का भेद है, यह हजारो वर्षों से इस मुल्क में चला आ रहा है। आजादी के 25—30 साल बाद हमने इसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम दर्जे पर इसको कर पाये।

जब हम अपनी प्राचीन संस्कृति, इतिहास या धर्म को देखते हैं तो शायद हजारों वर्षो से कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके ऊपर घोर अत्याचार होते रहे। उनको कभी इसान की तरह से रहने का मौका नही दिया गया। बल्कि मैं कहूंगी कि एक साधारण से पशु कुत्ते के मुकाबले में हमारे समाज ने इन जातियो को जगह नही दी। हम देखते आये है, शास्त्रो में भी यह लिखा है कि अगर वेद का कोई शब्द किसी शूद्र के कान में पड़ जाये तो उसको शीशा गर्म करके उसके कान में डाल कर जला देना चाहिए। लिखा ही नहीं है, दक्षिण मे ऐसे कांड हुए है। कहते है कि अस्पृश्य लोगो के कानो मे गर्म-गर्म शीशा डाला गया और वे मारे गये। आज भी किसी ब्राह्मण के ऊपर छाया पड़ जाती है तो स्नान तो वह करता ही है, लेकिन उस अस्पृश्य को दण्ड दिया जाता है। इस तरह से एक घोर जुल्म और अत्याचार हम लाखो, करोडो, लोगो के साथ आज तक करते आये है। लेकिन गांवो में तो छुआछूत का चलन, प्रचलन अब भी चल रहा है, शहरो मे कुछ कम है। हमारे देश के कुछ प्रान्तो मे बहुत ज्यादा है, कुछ प्रान्तों में कम है। जब हम पजाब की तरफ नजर डालते हैं तो उधर उतना नही है लेकिन दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वहां पर छुआछूत आज भी उसी ढंग से चली आ रही है। तो इस छुआछूत को मिटाने के लिए केवल कुछ कानून की लाइने इसमें बल नही दे सकेगी। कुछ बल जरूर मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी सामाजिक क्रान्ति करने की जरूरत है। हमारे विचारो में बहुत जबरदस्त तब्दीली लाने की जरूरत पडेगी। कानून तो पहले भी बना हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो आज तक इन 20—25 वर्षो में इस कानून का इस्तेमाल कितने प्रतिशत लोगों के ऊपर हुआ है, तो पता चलेगा कि बहुत कम लोगो पर इसका इस्तेमाल हुआ है। अभी थोड़े दिनो की घटना बताती हू। हमारी कस्टीट्युएंसी में एक अस्पृश्य जाति का लड़का था। वह पीओन बन गया था, उसको गांव के लोगो ने इस तरह से मारा पीटा, व उसको नही रखा गया। वह कलेक्टर के पास गया, लेकिन उसको कोई स्थान नही मिला। आखिर परेशान होकर उसका बाप उसको दिल्ली में लाया है और कही डेली वेजेज पर उसको रखा है। गांवों के स्कूलो में यह हालत है कि वे हरिजन बच्चों के हाथ का पानी भी नही पीते। एक नहीं अनेकों ऐसी बातें, ऐसे जुल्म हमारे समाज

मे इन लोगो के ऊपर होते रहते है । हालांकि हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दो में कहा गया है कि कास्ट, ब्रीड एड सेक्स के आधार के बिना सब को बराबर अधिकार दिए जाए । पाडे जी ने भी कहा है कि सभी जीव बराबर है । कहने से, शास्त्र में लिखने से कुछ होने वाला नही है । संविधान में लिखना और बात है और व्यावहारिक दृष्टि से उसे लागू करना दूसरी बात है ।

जो संबंधित मंत्री जी हैं उनके सामने मै एक सुझाव रखना चाहती हू जो कानून से संबधित है । जब सरकार यह कानून लाई है तब मै यह कहना चाहती हू कि आज जो मंदिर है, मस्जिद हैं उनमे से कई मदिरो मे हरिजनो के प्रवेश पर पाबदी है। जो बड़े-बड़े मन्दिर है, सरकार के ट्रस्ट बने हुए है उन ट्रस्ट वाले मन्दिरो में भी हरिजनो का प्रवेश निषेद्ध है । अभी कुछ महीनो पहले मैने अखबार मे पढा था कि महाराष्ट्र के एक मन्दिर में एक डिप्टी मिनिस्टर को जाने से रोक दिया गया क्योकि वह ऊची जाति का नही था । मै अपने स्टेट का जिक्र करना चाहती हू । वहां नाथद्वारे का मन्दिर है। यही नही वहा और भी बडे-बड़े मन्दिर है और करोड़ो रुपये सालाना उनकी आय है । वहा पर ट्रस्ट काम कर रहे है लेकिन उन मन्दिरो मे हरिजनो को जाने की इजाजत नही है । हरिजन वहा जा नही सकते हैं । मै यह कहना चाहती हू कि जब आप दूसरी चीजों पर कानून लगा रहे हैं तो जो आपके मन्दिर है जिन पर आपके ट्रस्ट काम कर रहे है सबसे पहले उन मन्दिरो को हरिजनो के लिये खोलिये । कागजी कानून से कुछ नही हो सकता । इसमे आपको आगे आना होगा । मै सोचती हू कि अगर आप अपने मन्दिरो में भी हरिजनों का प्रवेश डंके की चोट पर करा देगे तो आपके कानून का कुछ हद तक मकसद पूरा हो जाएगा । वे बेचारे धर्म में, ठाकुर जी में, भगवान की मूर्ति मे विश्वास रखने वाले है और उनके दर्शन करने के लिये तरसते रहते है । मैं जहां तक जानती हूं समाज कल्याण विभाग से हरिजनों को अलग मन्दिर बनाने के लिये रुपया मिला है और उन्होने अपने अलग ठाकुर जी कायम किये है । मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भंगियों के ठाकुर जी अलग है और आपके ठाकुर जी अलग हैं ? आप उनके लिये अलग मन्दिर बना कर, उनके अलग मन्दिर बनाने के लिये पैसा देकर छुआछूत को नहीं मिटा सकते। आप उनको अलग कुइयां बनाने के लिये पैसा देते है तो क्या इससे छुआछूत मिट सकती है । जो सार्वजनिक कुए है जहां से दूसरी जातियो के लोग पानी भरते है वहां पर हरिजनो को जाने का अधिकार क्यो नही देते है । आप उनके लिये अलग कुएं क्यो बनाते हैं ?

मै आपका ज्यादा वक्त न लेकर इतना निवेदन करना चाहूगी कि जब तक समाज की आर्थिक स्थिति नही सुधरेगी तब तक ये जो छोटे-मोटे काम है पूरे नही किये जा सकते । इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाय । हम देखते हैं कि जब कोई हरिजन लडका अच्छी दुकान पर बैठा होता है और अच्छे साफ कपडे पहने होता है तो सब लोग वहा पर कोकाकोला पीते है । लेकिन अगर कोई आदमी गदे कपड़े पहने होता है तो वहां पर कोई भी कोई चीज खाना पसंद नही करता है । इसलिए मै कहती हू कि आर्थिक स्थिति का मनुष्य की जिन्दगी पर बहुत बड़ा असर पडता है । हम लोग इन लोगों को जो नौकरियो में इसेंटिव दे रहे है वह तो देना ही चाहिए लेकिन हम सब लोगों को नौकरी नही दे सकते है । इसलिए मै यह निवेदन करना चाहती हू कि इन लोगो को हमे दूसरे धन्धो में भी इसेंटिव देना चाहिए । आज जरूरत इस बात की है कि उनके लिए दूसरे रोजगारो का प्रबन्ध किया जाय । हम देखते है कि ड्राईक्लीनिग के लिए स्नोवाइट जैसी बडी-बडी कम्पनिया होती है जब कि सब काम धोबी करता है । ऐसी हालत में इस प्रकार के काम हरिजन लोगो को क्यों नही दिये जाये, इस पर हमे गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । मै फिर इस बात को दोहराना चाहती हू कि सबसे पहले आप हरिजनो के लिए मंदिरो के द्वार खोलिये। सिर्फ कानून बनाने से ही काम नही चलेगा ।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala) : Sir, it was long ago that the Constitution of India abolished untouchability. But even before that, there was a movement for the annihilation of untouchability, right from the days when Dr. Ambedkar had to fight the social evil through his book, which was originally meant for a presidential speech at a meeting which did not take place. Later on it was published as a book. The meeting did not take place and he said many things in that which were very unpalatable to the would be

[Shri K. K. Madhavan]

audience. This book is well known under the title "Annhilation of Caste". I for one say that abolition of untouchability alone cannot deliver the goods. We have to abolish the caste system also. Untouchability is a consequence of the caste system, and the caste system, in its turn, is a consequence of the "Chathur Varnja" system. I do not want to deal with the theoretical aspect of this question. Whatever we have gained in India against untouchability is because of three factors: (1) By the resistance of the weaker sections of the society, the so-called untouchables; (2) by Governmental help; and (3) the most important of all, by the efforts of an enlightened section of the society in India. Of the three factors, the third factor for which Mahatma Gandhi is largely responsible, is gradually going down, now I do not know what the reason is. I have my own explanation. In the present context, in free India, the erstwhile untouchables have a sense of right, an awareness of their rights, and they have begun to assert. It is only natural that when the weaker sections of the people become aware of their rights and they begin to strike back or when they begin to assert themselves, certainly, the exploiters will have with redoubled vigour, a new programme for suppressing the underdog. That is exactly what happens. In many States, the cases of atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are on the increase. It is admitted even by the official quarters. Why does this happen? This happens simply because the casteist monopolists who look down upon these weaker sections of people as their slaves, cannot tolerate the later coming up. This is not untouchability, Sir. This is something worse than untouchability. This is an inhuman attitude which cannot be tolerated in any civilised society. This unsocial attitude is known under the nomenclature 'casteism' Why does this casteism occur? This casteism occurs, I would say, because of untouchability, which has been declared, treated and punished as a crime. The basic law now being against it, it has now gone underground. It has gone underground into the minds of men and there it reigns raising its ugly head in the form of a war of nerves the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I say, it is a perpetual war of nerves. This war of nerves cannot be defeated very easily. A war can be won only by a stronger force. In the case of a war of nerves also it can be won by a superior force combating the evil. That is what is happening in India. Some of our friends in this hon. House were saying that certain social service organisations like the Ramakrishna Mission, the Arya Samaj and some other Samajams, that they should take up the work, that the Scheduled Caste leaders should themselves take up the work. We are prepared, Sir. We are actually doing that work. Nobody need advice us on that account. But I would ask, is it enough for hon. Members to sit in their armchairs and exhort people to do the job for them? I would say, Sir, that it is the duty of these people, the leaders of this country, to take up the cause and fight it to extinction as the Father of Nation has done.

Now, Sir, though I admit that this is a progressive Bill and it provides for so many good things, still I have a feeling that there is a section which ought not to have found a place in this Bill. What is that section? That is clause 2 of section 17 of the Bill which seeks to amend section 15 of the principal Act. Now, clause (2) of section 17 of the Bill says : "Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, when any public servant is alleged to have committed the offence of abetment of an offence punishable under this Act, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognisance of such offence of abetment except with the previous sanction (a) of the Central Government in the case of a person employed in connection with the affairs of the Union, and (b) of the State Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of a State." Sir, why this exemption? Sir, this protection aggravates the

caste mentality of the officers. My complaint is : "why do you provide this section" ? I am getting hundreds of complaints against casteism being practised in Government offices in the matter of appointments as well as administration at all stages in public sector undertakings are much worse.

SHRI N. H. KUMBHARE : This amendment is made at the instance of the Government. This is a Government amendment, otherwise there was no such provision.

SHRI K. K. MADHAVAN : Casteism largely is the cause of our disability whereas untouchability is under control. The disease has assumed the new form of casteism in Government offices and in farms and factories. In the farms where the workers refuse to be dictated by others, we find that by the substitution of the new provision in section 15 Government servants will be protected and only the Government will have the power to sanction prosecution against them. Sir, it is the right of a private citizen to complain if he is discriminated against. Why should the agrieved Scheduled Caste citizen be denied of that right to take the matter to a court of law. If the wrong-doer is an officer of the Central Government it is only the Central Government which has the powers to take legal proceedings against him. If he happens to be a public servant of a State Government it is only the State Government which is competent to institute proceedings against him. Why should these public servants be given this exemption, this protection ?

[**The Vice-Chairman (Shri Ranbir Singh)** in the Chair]

It is unwarranted, Sir. I should say that clause (2) of section 17 of the bill should be taken away from the Bill for the simple reason that it places the victim of the wrong at a disadvantage when he files a complaint. This clause (2) of section 17 of the Bill is a black spot on this legislation. It is not consistent with the spirit of our democracy; it is not consistent with the spirit of the 20-point programme which has been hailed from all quarters. So, I would suggest that better wisdom should prevail against this clause.

Sir, I was referring to casteism entertained in Government offices and at other public places. Such public places are not mentioned in this Bill or in the principal Act. That is the deficiency. This deficiency has to be made good. How should it be made good? I would suggest that the amplitude of this Act should be made wider so as to include anti-Harijan, anti-tribal, attitude and discriminatory actions of Government officers punishable within the Act. Unless that is done, the administration would not improve, would not become free from casteism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Try to wind up now.

SHRI K. K. MADHAVAN : Sir, unless this is done our social system and our democracy will not progress. Thank you, Sir.

SHRI ABU ABRAHAM (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, every year, a few times we, in Parliament discuss the subject of untouchability of Harijans and we have done this for many years now. But since independence, it seems that the condition of Harijans has not changed very much. We still read in the newspapers everyday of open discrimination against Harijans, violence against them, their living conditions also remaining the same. We have cases of landlords attacking Harijan villages and the police doing nothing about it. The Harijans get arrested very often and the landlords get away with it. We have to consider why the situation is like this. Why, after so many years and after trying to do so much, have we made so little progress ? I think it is because we have an attitude of doing charity to the Harijans like the salvation army used to do the poor in the old days. And this has got to change. What we have to do is to improve the political and economic power of the Harijans. Unless we do

[Shri Abu Abraham]

that, it will be very hard for any legislation to improve their condition.

Sir, this Bill is a progressive Bill, a radical Bill and its provisions, I am sure, will give to untouchables the legal right that they deserve and should have. But this is not enough. I think we have to attempt to make radical changes in the social structure, the basic structure of our society. Unless that is done, we cannot expect the conditions of the Harijans to improve very much.

The important point to be considered here is that Harijans themselves should have the means to defend themselves and to look after their interests. They will have to organise themselves. They will have to educate themselves. They will have to take a greater part in the democratic processes in this country. It is these things that matter and the Government should try to help them, enable them to assert themselves and to organise themselves. But so long as the Harijans remain largely illiterate, they will neither be able to defend themselves nor make any economic progress. I know that the recent measures of land distribution to the landless has helped Harijan communities in many parts of the country but a great deal more needs be done. There has to be a massive attempt to educate the Harijans, to give them literacy, to give them the basic tools with which they can improve their conditions. Sir, for example, Kerala's work in this matter is worthnoting. A hundred years ago, when Swami Vivekananda visited Kerala, he said that this was the most reactionary State that he had ever been to. In those days, there was not only untouchability, but there was also unapproachability and unseeability. Today, if you go to Kerala, you can see the difference. This is not necessarily because of legislation, not even by propaganda or by charitable acts, but by organising the rural labour and the industrial labour and by giving them the tools and the means by which they could fight for their rights. This is what should have been done in other States also. This has been done in Kerala. Kerala has a very high level of education and this has made a tremendous impact in destroying the caste system. I do not say that it is completely destroyed. But it is very negligible now. Privately, people may have prejudices. But in most parts of Kerala, it is very difficult to see any open discrimination against the harijans. The Kerala Government have built houses for the poor people. In these houses, the harijans live side by side with the other people who belong to the higher castes. It is not so in other States. In the other States, separate housing schemes are there for the harijans.

SHRI K. K. MADHAVAN : For the information of the hon. Member, I would like to state that in Kerala the harijan population is not segregated generally.

SHRI ABU ABRAHAM : This is what I am saying. But in the old days, there were segregated areas where the harijans lived. Therefore, our most important task should be the desegregation of the harijan population. When we build hostels for students, they should be for every one. Why should there be harijan hostels? If such is the case, why not we have buses and trains exclusively for the harijans? It has been said that the Railways have made a great contribution in changing the social pattern in this country because in our trains, the harijans and other people travel together. In the same way, I think we should have common hostels, we should have hostels where the harijan boys can stay along with the boys belonging to the higher castes. In any case, it has been proved to be a racket where these people have been exploited and people have been making money. This is a well known fact.

Sir, we say all the time that we are a secular State and we are getting more and more secular as years pass by. But the interesting thing is that while we say that we are becoming more secular, it seems to me that we are getting more and more religious. I do not see any attempt being made in this country to break the hold of religious orthodoxy on our society. Now,

many distinguished people, political leaders and high dignitaries seen to be encouraging orthodoxy. In this connection, I would like to give the example of the revival of the cow protection campaign. May I ask why the ban on cow slaughter has so suddenly been introduced in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Maharashtra? This has directly affected are poor people in this country. This has directly affected the harijans in this country. I can only say this is a way of encouraging religious orthodoxy. The other day Shri Vinoba Bhave made an extraordinary remark that vegetarianism is the answer to the removal of untouchability. Now this is a direct insult to all people who eat meat. The implication of that remark is that people who eat meat automatically go down the social ladder. On the contrary, I say that people must all be encouraged to eat meat so that they can all achieve equality. This should be the aim of the Government and they should not give in to Vinoba Bhave. Any agricultural scientist will say that we have too many cattle in this country and it is necessary to have a certain amount of slaughter and meat-eating.

Sir, the new duties of citizens include "the cultivation of a scientific temper" and is it too much to ask the Government itself to show a scientific temper in this matter?

شری سکندر علی وجد (مہاراشٹر) :

جناب وائس چیرمین صاحب - میں اس بل کی تائید کرتا ہوں - اس میں جو سزائیں مقرر ہیں یا جو پابندیاں ہریجنوں کے مخالفوں کے لئے موجود ہیں وہ بہت وقتی ہیں اور ان کی بہت ضرورت تھی- ایک بات مجھے اور کہنی ہے خاص طور پر - ابھی میں مراٹھہ واڑہ کا دورہ کر کے آرہا ہوں اور میں وہاں گاؤں گاؤں گیا - میں نے کچھہ زیادہ تبدیلی وہاں دیکھی نہیں- میں ہر بستی میں گیا - مانگ‌واڑوں میں دھیڑ واڑوں‌میں اور دوسری‌جگہوں پر بھی- ان‌کے الگ کنوین ہیں وہاں وہ رہتے ہیں اور ان کی جو چالیس برس پہلے حالت تھی آج کچھہ زیادہ فرق اس میں نہیں آیا ہے - میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں جہاں کا میں پاٹل ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ حالت کیا ہے - میں نے وہاں پوچھا کہ آخر بات کیا ہے - تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس ہریجن سہہار کا یعنی شیڈولڈ کاسٹ کے سدھار کا کام ہے وہ سرکاری نوکری تو کرتے ہیں لیکن اس کام میں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس پر ان کو بھروسہ نہیں ہے - لیکن ایسے کچھ مخلص لوگ ہیں جو کہ واقعی اس میں عقیدہ رکھتے ہیں اس کام کو ایسے لوگوں کے سپرد کرنا چاہئے اگر ہم ان کی حالت میں کوئی سدھار لانا چاہتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہریجن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے کالج الگ ہونے چاہئیں ہمارے ہوسٹل الگ ہونے چاہئیں - ایک اور بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے لائق دوست اب تو ہریجن لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیڈولڈ کاسٹ کہو - گاندھی جی نے یہ کیا نیا لفظ گھڑ لیا تھا - میں اس بات کا قائل ہوں کہ ڈاکٹر امبیڈکر بڑے عالم فاضل تھے - انہوں نے ہریجنوں کی بڑی خدمت کی لیکن گاندھی جی نے بھی کم خدمت نہیں کی شیڈولڈ کاسٹ کی انہوں نے ان کو بہت اعلی سطح پر لاکر کھڑا کر دیا - مجھے معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں کے یہاں کھانا بنانے والے ہریجن ہیں - میں سیواگرام گیا وہاں میں نے دیکھا کہ کھانا پکانے والی لڑکیاں ہریجن ہیں - کھانا پروسنے

جب کوئی لیڈر کہتا ہے کہ سیکولرزم آگیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے - جب بھولا پاسوان شاستری جی نے ان کا نام ۲۵ نمبر اوپر کر دیا تب ان کو مکان ملا - میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں - یہ لوگ جو سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے - اس کے معنی لوگوں کو کم سمجھ میں آئے ہیں - اگر میں دیکھوں گا کسی برھمن کے گھر میں ہریجن کھانا پکانے والا ہو کسی سید سادات کے گھر میں ہریجن کھانا پکانے والا ہو تو ہم کہینگے کہ سیکولرزم یہ ہے - میرے پاس ایک درخواست آئی ہے - ہم کہتے ہیں کہ ہریجنوں کو کچھ مل گیا مسلمانوں کو کچھ مل گیا - میں پوچھنا نہیں چاہتا کہ کتنے مسلمان پولیس میں ہیں کتنے کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں ہمارے چیف منسٹر کے وطن پیٹھن میں ایک جلسہ ہوا وہاں کچھ لوگ آئے وہ بھٹکے سماج کے لوگ ہیں خانہ بدوش لوگ۔ آبادی کے لحاظ سے صرف مہاراشٹر میں ۱۵ سے ۲۰ لاکھ وہ لوگ ہیں۔ ہزاروں سال گذر گئے آج تک ان کو کوئی مکان کوئی زمین نہیں ملی۔ آپ تو زمین کی بات کرتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کیا تم کو مکان کبھی نہیں ملا۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں زمین سے کیا تعلق جہاں گاؤں میں کام ملتا ہے وہاں ہم رہتے ہیں اور کام ختم ہوجاتا ہے تو دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے شڈولڈ کاسٹ اور دوسرے بھائیوں کو بہت حقوق ملے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہزاروں برسوں سے ہم کو کوئی مکان نصیب نہیں ہوا۔ جب ان کا لیڈر گھونسلے بولنے کے لئے کھڑا ہوا تو

[شری سکندر علی وجد]

والے دینے والے ہریجن ہیں - یہ ہے پریکٹیکل ہریجن سدھار - معلوم نہیں ہمارے کتنے منسٹروں کے یہاں ہریجن نوکر ہیں یا دوسری ذلت کے لوگ ہیں ہمارا سیکولرزم تو ہماری چمڑی کے بہت نیچے نہیں گیا ہے - ہریجنوں کی بات تو دور رہی - ابھی اس ہاؤس میں بات چل رہی تھی کہ شادیاں ہونی چاہئیں انٹر کاسٹ - اس سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے - مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دھلی بڑا ترقی یافتہ شہر ہے بڑا کاسٹ موپولیشن شہر ہے یہاں اورنگ آباد کی ایک مسلمان لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی۔ کہنے کو اس کا شوہر بڑا آفیسر ہے لیکن چودہ سال ہو گئے اور اسے بارہ مکان بدلنے پڑے ہیں - ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ تو مسلمان ہے اس نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں تو جواب ملا کہ تمہارا باپ تو مسلمان تھا اسی لئے ان کو مکان نہیں ملتا - ہمارے اوم مہتہ جی اس وقت منسٹر تھے میں نے کہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے - ہم کانگریس کے لوگ کیسے کہیں کہ لوگوں کے سامنے کہ بھائی سب کے لئے برابر حق ہے - آپ ان کو مکان کیوں نہیں دیتے ہیں - مدراس میں تو انعام ملتا ہے - انہوں نے کہا بات تو ایسی ہی ہے اس کے بعد میں نے بھولا پاسوان شاستری سے کہا کہ آپ تو شیڈولڈ کاسٹ کے آدمی ہیں - میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جو ہوئی ہے اس پر ان کو مکان ملنا چاہئے ورنہ میں ان کو اندرا جی کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ لیڈر جھوٹ بولتے ہیں۔

آدمیوں کے پاس گھر نہیں ہے کھیت نہیں ہے چھونپڑی نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے تب سے میرا دل بیٹھ گیا۔ میں بہت شکرگذار ہوں کہ سرکار شیڈولڈ کاسٹ کے لئے بل لائی ہے پر میں نے دیکھا ہے ان خانہ بدوشوں کی مدد کرنے کے لئے قانون میں کہیں نہیں ذکر ہے۔ کانسٹی ٹیوشن میں بھی نہیں ہے آپ کے اس بل میں بھی کہیں نہیں ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह): यह सब 20 नुकाती प्रोग्राम में है।

شری سکندر علی وجد : آپ بھی ایسے علاقے سے آتے ہیں جہاں گاؤں کے لوگ رہتے ہیں آپ میں بھی طاقت ہے جوش ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے خود ہمارے اوم مہتہ جی ہیں ان سے اور سبھی دوستوں سے اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے زندگی میں کوئی سہارا نہیں ہے رہنے کے لئے مکان نہیں ہے ان کی مدد کریں۔ شکریہ

†**[श्री सिकन्दर अली वज्द** (महाराष्ट्र) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मै इस बिल की ताईद करता हूं। इस में जो सजायें मुकर्रर हैं या जो पाबन्दियां हरिजनों के मुखालिफो के लिये मौजूद हैं वह बहुत वक्ती है और उन की बहुत जरूरत थी। एक बात मुझे और कहनी है खास तौर पर। अभी मैं मराठवाडा का दौरा कर के आ रहा हूं और मैं वहां गांव-गांव गया। मैंने कुछ ज्यादा तब्दीली वहां देखी नही। मैं हर बस्ती में गया, मागवाड़ा घेड़ वाड़ो मे और दूसरी जगहों पर भी। उन के अलग कुंऐ हैं। वहां वह रहते है और उन की जो चालीस बरस पहले हालत थी आज कुछ ज्यादा फ़र्क उस में नहीं आया है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, जहां का मैं पाटिल हूं। इसलिये मैं जानता हूं कि

†[ ] Hindi Translation.

ہمارے منسٹر صاحب بھی اس کی تردید نہیں کرسکے۔ کیونکہ سچی بات کی کوئی تردید نہیں کرسکتا۔ ہمارے ملک میں کروڑوں کی آبادی ہے خانہ بدوشوں کی ان کا کوئی حساب ہے؟ ان کا کہیں نام نہیں ہے شیڈول میں مگر وہ موجود ہیں ان کا وجود ہے۔ پندرہ لاکھ آدمی مہاراشٹر میں پھر رہے ہیں گاؤں گاؤں میں ان کا کوئی گھر نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی مکان نہیں ہے۔ ہم نے ہریجن اور شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو مکان دلائے، گائیں دلائیں، بکریاں دلائیں، جھونپڑیاں دلائیں یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ۱۰ لاکھ خانہ بدوشوں کو مکان نہیں ہے زمین نہیں ہے ان کی زندگی ایسی ہے۔ بدقسمتی دیکھئے ان کے بھی کئی قبیلے ہیں کئی ذاتیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں آپسمیں شادیاں ہوتی ہیں انہوں نے کہا شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جاتی بھید وہاں تک بھی پہنچا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہے یہ شڈولڈ کاسٹ کے مسئلے سے بھی بڑھکر بات ہے۔ اب تو گویا میں خانہ بدوشوں کا لیڈر ہوں

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह : 20 नुकाती प्रोग्राम में उन्हें मकान दिलाइये अपने राज्य में।

شری سکندر علی وجد : جن کے گھر نہیں ہیں جن کی عزت نہیں ہیں میں ان کا لیڈر ہوں ان کی یہ جو درخواست آئی ہے یہ فیکٹس اور فیگرس کے ساتھ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس اس معاملے میں میرا ساتھ دیگا۔

میں نے گاؤں گاؤں دیکھا ہے جب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ۲۰ لاکھ

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

हालत क्या है। मैंने वहां पूछा कि आखिर बात क्या है। तो पता चला कि जिन लोगों के पास हरिजन सुधार का यानी शेड्यूल्ड कास्ट के सुधार का काम है वह सरकारी नौकरी तो करते हैं, लेकिन उस काम में उन का कोई अकीदा नही है। उस पर उन को भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ मुखलिस लोग है कि जो वाकई इस में अकीदा रखते है। इस काम को ऐसे ही लोगों के सुपुर्द करना चाहिए अगर हम उन की हालत में कोई सुधार लाना चाहते हैं तो। बदकिस्मती तो यह है कि हमारे हरिजन भाई कहते हैं कि हमारे कालेज अलग होने चाहिए, हमारे होस्टल अलग होने चाहिए। एक और बात मैं कभी कभी सोचता हूं। हमारे लायक हरिजन दोस्त अब तो हरिजन लफ्ज को भी पसंद नही करते। वह कहते हैं कि हमें शेड्यूल्ड कास्ट कहो। गांधी जी ने यह क्या नया लफ्ज़ घड़ लिया था। मै इस बात का कायल हूं कि डा० अम्बेदकर बडे आलिम फाजिल थे। उन्होंने हरिजनों की बहुत खिदमत की। लेकिन गांधी जी ने भी कम खिदमत नही की शेड्यूल्ड कास्ट के लोगो की। उन्होंने उन को बहुत आला सतह पर ला कर खड़ा कर दिया। मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगो के यहां खाना बनाने वाले हरिजन है। मैं सेवाग्राम गया और वहा मैने देखा कि खाना पकाने वाली लड़कियां हरिजन है, खाना परोसने वाले, देने वाले भी हरिजन। यह है प्रेक्टिकल हरिजन सुधार। मालूम नही हमारे कितने मिनिस्टरों के यहां हरिजन नौकर हैं या दूसरी जाति के लोग है, हमारा सेकुलरिज्म तो हमारी चमड़ी के बहुत नीचे नही गया है, हरिजनों की बात तो दूर रही। अभी इस हाउस में बात चल रही थी कि शादियां होनी चाहिए इंटरकास्ट। इस से बड़े मसले हल हो जायेंगे। मुझे यह सुन कर खुशी हुई, लेकिन मैं आप को बताता हूं कि यह दिल्ली बड़ा तरकीयाफता शहर है, बड़ा कास्मोपोलिटन शहर है। यहां औरंगाबाद की एक मुसलमान लड़की ने एक हिन्दू से शादी कर ली। कहने को उसका शौहर बड़ा अफसर है लेकिन 14 साल हो गये और उसे 12 मकान बदलने पड़े है। हर जगह यह कहा गया कि यह तो मुसलमान है। उस ने कहा कि मैं तो हिन्दू हूं तो जवाब मिला कि तुम्हारा बाप तो मुसलमान था। इस लिये उन को मकान नही मिलता था हिन्दू बस्तियों में। हमारे ओम् मेहता जी उस वक्त मिनिस्टर थे। मैं ने कहा कि यह क्या होता है। हम कांग्रेस के लोग कैसे कहें लोगों के सामने कि भाई सबके लिए बराबर हक है। आप इनको मकान क्यो नही देते है। मद्रास में तो इनाम मिलता है। उन्होंने कहा बात तो ऐसी ही है। इसके बाद मैंने भोला पासवान शास्त्री से कहा कि आप तो शैड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी है, मैं चाहता हूं कि यह शादी जो हुई है इस पर इनको मकान मिलना चाहिए। वरना मैं इनको इंदिरा जी के पास ले जाऊंगा और कहूगा कि यह लीडर झूठ बोलते है। जब कोई लीडर कहता है कि सेक्यूलरिज्म आ गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह झूठ बोल रहा है। जब भोला पासवान शास्त्री जी ने उनका नाम 25 नम्बर ऊपर कर दिया तब उनको मकान मिला। मै यह भी कहता हूं कि हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं। यह लोग जो सेक्यूलरिज्म का प्रचार करते है यह कुछ नहीं है। इसके माने लोगो को कम समझ मे आते है। अगर म देखूंगा किसी ब्राह्मण के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो, किसी सैयद सादात के घर में हरिजन खाना पकाने वाला हो तो हम कहेंगे कि सेक्यूलरिज्म यह है। मेरे पास एक दरख्वास्त आई है। हम कहते हैं कि हरिजनों को कुछ मिल गया, मुसलमानों को कुछ मिल गया। मैं पूछना नही चाहता कि कितने मुसलमान पुलिस में है, कितने किस डिपार्टमेंट में है। हमारे चीफ़ मिनिस्टर के वतन पैटन में एक जलसा हुआ। वहां कुछ लोग आये। वह भटके समाज के लोग, खानाबदोश लोग आबादी के लिहाज से सिर्फ महाराष्ट्र में 15 से 20 लाख वे लोग हैं। हजारों साल गुजर गये, आज तक उनको कोई मकान, कोई जमीन नही मिली। आप तो जमीन की बात करते है, हमने उनसे पूछा क्या तुमको मकान कभी नही मिला ? उन्होंने जवाब दिया हमे जमीन से क्या ताल्लुक। जहां गांव में काम मिलता है वहां हम रहते हैं और काम खत्म हो जाता है तो दूसरे गांव में चले जाते हैं। हमारे शैड्यूल्ड कास्ट् और दूसरे भाइयो को बहुत हुकूक मिले है। लेकिन उन्होंने कहा कि हजारों बरसो से हमको कोई मकान नसीब नही हुआ। जब उनका लीडर भौसले बोलने के लिए खड़ा हुआ तो हमारे मिनिस्टर साहब भी उसकी तरदीद नही कर सके, क्योंकि सच्ची बात की कोई तरदीर नही कर सकता, कि उनको कोई मकान नही मिले हमारे मुल्क में।

करोड़ों की आबादी है खानाबदोशो की, उनका कोई हिसाब है ? उनका कही नाम नही है शैडूल में, मगर वह मौजूद है, उनका वजूद है । 15 लाख आदमी महाराष्ट्र में फिर रहे है, गांव-गांव में, उनका कोई घर नही, कोई खेत नही, कोई मकान नही है । हमने हरिजन और शैडूल्ड कास्ट के लोगों को मकान दिलाये, घर दिलाये, गांये दिलाई, बकरियां दिलाई, झोंपड़ी दिलाई, यह अपनी जगह पर है । लेकिन 15 लाख खानाबदोशो को मकान नही है, जमीन नही है उनकी जिन्दगी ऐसी है । बदकिस्मती देखिये, उनके भी कई कबीले है, कई जातें है । मैने उनसे पूछा कि आपके यहां आपस मे शादिया होती है तो उन्होंने कहा शादियां नहीं होती है । यह जाति-भेद वहां तक भी पहुचा है । तो यह मसला बहुत ही पेचीदा है । यह शैडूल्ड कास्ट के मसले से भी बढ़कर बात है । अब तो गोया मैं खानाबदोशो का लीडर हूं ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : 20 नुक्ता प्रोग्राम में उनको मकान दिलाइये अपने राज्य में ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : जिनके घर नही हैं, जिनकी इज्जत नही है, मै उनका लीडर हू । उनकी यह जो दरख्वास्त आई है यह फैक्ट्स और फिगर्स के साथ है । मैं उम्मीद करता हू कि यह हाउस इस मामले में मेरा साथ देगा ।

मैंने गांव-गांव देखा है । जब से मैने यह देखा है कि 20 लाख आदमियो के पास घर नहीं है, खेत नही है, झोपड़ी नही है, कोई सहारा नही है तब से मेरा दिल बैठ गया । मै बहुत शुक्रगुजार हूं कि सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये बिल लाई है पर मैंने देखा है इन खानाबदोशो की मदद करने के लिये कानून में कही जिक्र नहीं है, कंस्टीट्युशन में भी नही हैं, आपके इस बिल में भी कही नही है ।

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : यह सब 20 नुक्ते प्रोग्राम मे है ।

श्री सिकन्दर अली वज्द : आप भी ऐसे इलाके से आते हैं जहां गांव के लोग रहते है । आप में भी ताकत है, जोश है, लोगो की खिदमत करने का जज्बा है । खुद हमारे ओम् मेहता जी है, उनसे और सभी दोस्तों से अपील करूंगा कि इन लोगो के लिये जिनके पास कुछ नही है, जिन्दगी में कोई सहारा नही है, रहने के लिये मकान नही है, उनकी मदद करें । शुक्रिया ।]

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का जो कानून आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। केवल कानून से किसी समस्या का निराकरण नही होता। पार्लियामेट ने कानून बनाया कि दहेज प्रथा खत्म होगी, दहेज लेने वाले दंडित होगे लेकिन दहेज प्रथा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि बाल विवाह खत्म होगा लेकिन फिर भी करोड़ो की संख्या में बाल विवाह हो रहे है। जब कोई चीज जनता के दिलो मे बस जाती है तो पार्लियामेंट उस पर मोहर लगा देती है, सही मानों में वह उसका एक अमली रूप होता है। मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम देश की 60 करोड़ जनता की तरफ से इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होने 20 सूत्री कार्यक्रमों के माध्यम से कर्जे की समाप्ति, हरिजन-गिरिजन में जमीन का बटवारा एव हरिजनो को सामाजिक जीवन में प्राथमिकता देने का एक शंखनाद फूका है। हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री ऐसी खुशकिस्मत है कि जिन्होने छुआछूत के बंधन को खुद तोड़ा और अपने परिवार से तोड़ाया और ऐसा करने के लिये 60 करोड़ जनता का आवाह्न किया।

उपसभाध्यक्ष जी, जब तक इस देश में सीता और शम्बूक का अपमान होता रहा तब तक हिन्दुस्तान विदेशी हमलावरों के सामने पराजित होता रहा। जब इस मुल्क का नेतृत्व सीता के हाथ आया और इसकी रक्षा का भार शम्बूक के हाथ आया तब इस मुल्क के सेनानियो ने विदेशी हमलावरों को जबर्दस्त पराजय दी।

उपसभाध्यक्ष जी, अस्पृश्यता जातिवाद के पेट से पैदा हुई। इसलिए गुनार जारिंग ने लिखा है :

"The countries of the world are either vertically divided or horizontally divided but India is the only country which is vertically as well as horizontally divided."

दुनिया के सभी राष्ट्रों में या तो आर्थिक समस्या है या सामाजिक समस्या है। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सामाजिक उत्पीड़न है, आर्थिक उत्पीड़न है। पूंजीवाद के पेट से आर्थिक उत्पीड़न

[श्री सिकन्दर अली वज्द]

पैदा हुई और ब्राह्मणवाद के पेट से और जातिवाद के पेट से अस्पृश्यता पैदा हुई। जातिवाद के कारण ही हिन्दुस्तान के लोग हजारों वर्षों तक गुलाम रहे। इस जातिवाद और ब्राह्मणवाद ने देश की जनता के मन को तोड़ा है और पूंजीवाद ने देश की जनता के धन को तोड़ा है। ब्राह्मणवाद और जातिवाद ने इस देश के करोड़ों इंसानों के मन को तोड़ा है। अंग्रेजी भाषा के प्रचार से इन देश के करोड़ों लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। जब तक देश से जातिप्रथा को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता है। इस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए कबीर से लेकर गुरु नानक, स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने अपने जीवन भर प्रयास किया और उसी परम्परा के अनुसार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और अब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रयास किया है। जब तक इस देश से जातिवाद का अंत नहीं होगा तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते है। इस देश की दौलत आज किन लोगों के हाथों में है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस देश की दौलत का हिस्सेदार अनटचैबल नहीं माना जाता है। यद्यपि उनको नौकरियों में स्थान दिया गया है लेकिन नौकरियों में उनका हिस्सा बहुत थोड़ा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के हरिजनों को देश की दौलत में हिस्सेदार बनाना होगा, जमीन में हिस्सेदार बनाना होगा। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जातिवाद पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा तब तक इस देश से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है। इस मुल्क के अन्दर कई वर्षों से हरिजन ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे देश में वशिष्टी ब्राह्मणवाद कट्टरतापूर्वक हमारी संस्कृति के ऊपर बैठ गया है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस जातिवाद को समूल नष्ट किया जाय। पूजहूं बिप्र सकल गुणग्राही इस प्रकार की जो बातें है उनको बदलना होगा, साहित्य को बदलना होगा। आप जानते है कि इस जातिवाद के कारण ही इस मुल्क में करोड़ों लोगों को मुसलमान होना पड़ा और जातिवाद के कारण ही करोड़ों लोगों को ईसाई होना पड़ा। Water always percolates from above. पानी ऊपर से आता है। ब्राह्मणवाद के कारण ही इस देश में हरिजनों पर अत्याचार हुए। एक हरिजन गांव के कुंए पर पानी नहीं पी सकता है। यही नहीं हरिजनों में बहुत-सी उप-जातियां है। जहां तक मैं जानता हूं, हरिजनों में 47 जातियां हैं। ऐसी हालत में आज जरूरत इस बात की है कि जाति प्रथा पर चतुर्दिक रूप से हमला किया जाय। मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश की महान् नेता श्रीमती इंदिरा गांधी न केवल इस मुल्क से जाति प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए कृत-संकल्प है बल्कि वे एशिया और अफ्रीका से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अल्जीयर में जो नान-एलाइन्ड कंट्रीज की कांफ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने यह मांग की थी कि दुनिया से रंगभेद की नीति समाप्त होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के अन्दर भी उन्होंने जातिप्रथा को तोड़ने का एलान किया है। मैं समझता हूं कि जब तक हम इस देश से जातिप्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया से रंगभेद की नीति को समाप्त नहीं कर सकते है। इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश के 60 करोड़ लोगों को आवाहन किया है कि इस देश से जातिप्रथा का अन्त किया जाय। इस जाति प्रथा ने हमें सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। इसलिए जब तक हम इस जाति प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकते है।

आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख गावों में हरिजनों के लिए अलग चमराट बने हुए हैं। जब तक इन गांवों के अन्दर चमराटों को समाप्त करके हरिजनों को गाव वालों के साथ नहीं बसाया जाएगा तब तक इस देश से जाति प्रथा का अन्त नहीं हो सकता है। आज हम स्वयं हरिजनों के लिए हरिजन कालोनियां और हरिजन छात्रों के लिए हरिजन छात्रावास बनाते हैं। जब तक आप इस भेदभाव को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे देश से छुआछूत समाप्त नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें हरिजनों को नौकरियों में हिस्सेदार बनाना होगा, व्यापार में हिस्सेदार बनाना होगा और जमीन के अन्दर हिस्सेदार बनाना होगा।

अब मुझे आपसे अन्तिम बात निवेदन करनी है और मैं आपका ध्यान दुनिया के रंग मंच की ओर ले जाना चाहता हूं।

आप गांव की स्थिति का अध्ययन कीजिये। आज गांव की क्या हालत है? एक गांव के अन्दर ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर गांव के बीच में है तो उसके अगल-बगल अहीर, कुरमी, काछी, चमार बसते हैं। हर गांव के दक्षिण में एक चमरावट बनती है। आज दुनिया की बिरादरी में यूरोप, अमरीका और जो उधर के रहने वाले लोग है वे दुनिया के ब्राह्मण है, जो 28 हजार प्रति व्यक्ति आमदनी रखते है--अरब मुल्क--वे दुनिया के ब्राह्मण है और दुनिया के कुवैत, चीन, जापान, आज अहीर कुरमी और काछी है और हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीका की वही स्थिति है जो गांव के दक्षिण में बसने वाले हरिजनों की है, उधार वस्त्र, उधार कारखाने और उधार धन पर अपना जीवन चला रहे है। ये विकसित यह चाहते है कि हम दुनिया के ब्राह्मण बने रहे। तो हमें हिन्दुस्तान में जाति प्रथा को खत्म करना होगा और समूचे देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सपनो का हिन्दुस्तान बनाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हू।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है। मैं इस बिल की तहे दिल से ताईद करता हूं और डिप्टी मिनिस्टर साहब और ओम मेहता जी को मुबारकवाद देता हू। यह उनके ही दिमाग की उपज थी जो कि इसके द्वारा हरिजनो के साथ न्याय किया जा रहा है।

हरिजनों की समस्या पर कांग्रेस ने हमेशा जोर दिया है। बहुत से दोस्तों ने कहा है कि हरिजनों को बहुत ज्यादा दिया गया है। यह उनका अपना ख्याल हो सकता है मैं इस बात को नही मानता हूं कि उनके अन्दर आपसी मतभेद है। मैं बिहार के बारे मे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनके बीच आपस मे कोई मतभेद नहीं है। यू०पी० के बारे में मैं कुछ नही कह सकता कि वहां क्या हालात हैं। जब यू०पी० के इलैक्शन में मैं वहां गया था तो मैंने वहां यह इस किस्म की चीज नही देखी। काफी सुधार हो चुका था पंडित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की बातो से और कार्यो से। जो कुछ यहा पर कहा गया वह बहुत पुराने जमाने या वैदिक काल में यह होगा। ये दकियानूसी बाते है मैं इन पर नहीं जाना चाहता हूं।

अभी एक मैडम ने कहा जब वे भाषण दे रही थी कि हरिजनों के साथ वेद मत्रों या गायत्री मत्र--

ओ भूर्भव स्व तत् सुवितुर वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमही धियो प्रचोदयात का उच्चारण नही कर सकते।

यह बिल्कुल गलत बात थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आज से बहुत दिन पहले, जब यहा हिन्दू सस्कृति मे बहुत मनभेद हो गया था तो स्वामी जी ने जनता के बीच जागरण पैदा किया जिससे कि सब लोग उसे पढ़ सकते थे।

"औरतो की कोई जाति नही होती है। यदि वे वेद मत्र सुन ले तो कान मे सीसा पिघलाया जाता था, हरिजनों को नही पिघलाया जाता था।" मैं सुन रहा था उस वक्त बड़े गौर से उनका भाषण। किसी को भी इतना जजबाती नही रहना चाहिए जिससे कि मुल्क के दूसरे सेक्टर के लोगों को तकलीफ न पहुंचे। 20-सूत्री कार्यक्रम को अपनाते वक्त इसको रखा गया। पहले यह लागू नही होता था। बड़े बडे बलिष्ठ नेता लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, हमारे रेसपेक्टेड गोविन्द वल्लभ पंत भी थे रफी साहब भी थे और मौलाना आजाद भी थे। लेकिन यह लागू नही होता। अब बड़ी हिम्मत के साथ, दिलेरी के साथ हमारी मोहतरमा प्रधान मंत्री श्रीमती इदिरा गांधी ने बीस-सूत्री कार्यक्रम रखा है जिसके जरिए हिन्दुस्तान के अन्दर न कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, समाज को एक लेबल मे आना होगा। मैं कोई बहुत ज्यादा चर्चा मे जाना नही चाहता हूं लेकिन इस मुल्क की तवारीख है.....

उप-सभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : चौधरी साहब, आपने 2 मिनट चाहा था, अब 5 मिनट हो गए है।

डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी : मैं खत्म करता हूं। तो मुल्क की तवारीख है जहा गांधी जी जैसी

[डा० चन्द्रमणि लाल चौधरी]

हस्ती पैदा हुई, हड्डियो का दान करने को उन्होंने कहा। हम मानते है हिन्दुस्तान एक गरीब मुल्क है, उसमें लोग गरीबी में जकड़े हुए है, कोई तो पढ़े लिखे न होने की वजह से और कोई समाज के अन्दर शोषण की वजह से। आपको पता है हिन्दुस्तान के अन्दर दकियानूसी वक्त में सती की प्रथा थी, औरतो को शौहर मरने के बाद जिदा जला दिया जाता था। इस प्रथा को रोका गया और हमारे बड़े बुजुर्गो ने रोका। पहले औरते बाहर नही निकलती थी। ये जो औरतें यहां बैठी है उनके ऊपर बुर्का होता, ये पार्लियामेंट में नही आ पाती लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू की तारीफ थी (*Interruptions*) अब तो महिलाएं खुल कर बाहर आ रही हैं और यह युग महिलाओ का है। आज हरिजन भी उतने दबे हुए नही है जितना पहले दबे हुए थे। आज हरिजनों के ऊपर ज्यादती होती है तो वे उसका मुकाबला करते है। यह बड़ी ताकतवर लीडरशिप है हमारी मोहतरमा इदिरा गांधी की। जिनको यकीन नही है वे जरा 20-सूत्री कार्यक्रम को देखें । मैं उम्मीद करता हूं, हमारे दोस्तो ने जो गवर्नमेंट पर चार्ज लगाया है वह मा-हमल नही होगा। जय हिन्द।

SHRI OM MEHTA : Sir, I am very grateful to the honourable Members for the unanimous support that they have given to this Bill and I am grateful particularly to Shri Prakash Veer Shastri, Pandeji

--जिन की तक़रीर मैंने अपने कमरे में सुनी--

--Unfortunately, I was not present here. But it was a very good speech, I must say--and then to Mr. Vaishampayen, Mr. Kumbhare--I think, Sir, Mr. Kumbhare has not spoken . . .

SHRI N. H. KUMBHARE : I had no opportunity to speak.

SHRI OM MEHTA : Sir, he has given an amendment and so, I thought that he must have spoken. I am grateful to Mr. Kalp Nath Rai, Rani Sahiban, Mr. Makhwana and many others. I am really thankful to all of them.

Sir, this is a very significant Bill. This was before the Lok Sabha for the last two years. Unfortunately, for one reason or the other, it could not be passed. It is good that it is being passed today and it is a very significant achievement so far as eradication of untouchability is concerned which, Sir, is a malady of our times. Sir, the word "untouchability" has been removed from our Constitution and this word is not there now. But untouchability is still practised in some parts of the country and it is a matter of shame for this country and for the people of this country who still practise it and I think it is high time that we took stringent action against those who still practised untouchability and to meet this need, Sir, we have brought forward this Bill.

Even before this Act came into being, we were not obvious of this fact. Our beloved Prime Minister wrote to the Chief Ministers of all the States to set up special cells under their personal supervision to look into the grievances of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe people and other minorities. Such cells have been set up in a number of States. Not only this, Sir. The Home Ministry has been issuing instructions from time to time to the States to look into the grievances of these downtrodden people, these exploited people, and we have issued instructions to them to the effect that in each and every State, the district officers must be requested to obtain relevant information about all incidents involving the Harijans, irrespective of whether such incidents have arisen due to any caste consideration or not and send it to the State and Central Governments since communication of such information to the State and the Central Governments would help them in placing these matters in proper perspective.

Sir, we have said that investigation of all offences involving Harijans, where any caste considerations are suspected, should be promptly, efficiently and adequately supervised. Investigation of serious offences involving the Harijans, where caste considerations are suspected, should be treated as special report cases and entrusted to selected

investigation officers. A suggestion made that such investigation should be conducted by an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police or Inspector of Police, was adopted wherever possible. Any failure to undertake prompt and efficient investigation or to exercise adequate supervision should be regarded as grave dereliction of duty on the part of the officers concerned.

Sir, it can now be confidently said that a new orientation has been imported into the official aproach—A steady improvement has also been made in regard to the administrative response to the needs of the situation.

Sir, my friend, Mr. Vaishampayen has quoted some figures also to show that in Gujarat and Maharashtra the number of atrocities is increasing. He gave figures for 1972, 1973, 1974, 1975. Sir, there is no doubt that previously whenever atrocities were committed they were not being reported. The Harijans were thinking that there would be retaliation from the higher castes and they were reluctant to report these atrocities to the *thana* or to the Government. Now, as the consciousness is growing, education is growing more and more such incidents are being reported. Sir, as politically, also they are becoming more and more conscious of their rights and privileges they are bringing more and more such incidents to the notice of the authorities.

Some points have been raised here that against these offcers who are negligent or who do not register the cases whenever these poor people go to the police station, action should be taken. The present Bill is only to meet that situation. Where we find that thaere is a wilful negligence on the part of any offcer to take any action against those who commit atrocities or to write the reports, action would be taken against that officer also.

Sir, not only that. We have said that in the case of those officers who do not go to the rescue of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the offence will be a cognizable offence and there also action will be taken against him.

Shri Makwana raised a point about the services. Sir, as I said in the other House, in this Bill we could not bring a provision for the services. But the Government is trying that whatever quota is fixed, it should be filled completely. Sir, I have been saying repeatedly in this House that full quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in the all-India services, that is, I.A.S., I.P.S., I.F.S., in the past.

Wherever their representation is less, not only in Class IV services, but in Class I, Class II and Class III services also, in recent years we have tried to see to it that their number is increased. I should say that the number of Scheduled Castes officers is 35,061 in Class I, 54,129 in Class II, 16,32,397 in Class III and 12,38,818 in Class IV. In recent years, we have taken certain more steps. Reservation in promotion quota now applies to all the grades and classes where the element of direct recruitment does not exist. It is 66.33 per cent. Earlier this limit was 50 per cent. From 1974, recruitment to posts filled by selection has been extended to promotions from Class III to Class II, within Class II and from Class II to the lowest rung of Class I. Before 1974, such reservations were confined to Class III and Class IV posts. Carry-forward provisions have been liberalised in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes with effect from June 1975. Scientific and technical posts for research up to the lowest grade of Class I have been brought within the purview of reservation orders. Earlier, no reservation existed for such posts. The U.P.S.C. and other competent authorities have been authorised to lessen qualifications relating to experience if otherwise suitably qualified Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are available. The position has also improved in the public sector undertakings where the representation of Scheduled Castes has risen by 26.5 per cent in Class IV and 14 per cent in Class III. In the case of Scheduled Tribes, the representation has risen to 12 per cent and 6 per cent respectively.

Sir, a High-Power Committee under the chairmanship of the Prime Minister meets regularly to review the progress relating to

[Shri Om Mehta]

matters concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes including their representation in services. Instructions have also been issued that reservation orders will apply to staff recruited by voluntary agencies which receive substantial grants-in-aid from the Government under certain conditions. We have seen to it that whatever orders are being issued by the Government of India, Department of Personnel, are implemented. It is not only the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes who keeps an eye on this. Also, a High-Power Committee of both the Houses of Parliament, which is there, looks to it whether the orders issued by us are implemented or not. The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also the report of the High-Power Committee of both the Houses of Parliament are placed on the Table of the House.

A point has been raised here by Mr. Wajd. He said that lakhs and lakhs of Harijans and other backward class people are still houseless.

SHRI SIKANDER ALI WAJD : I said about nomads.

SHRI OM MEHTA : Nomads are those who have got no lands and no houses. When I talk of houseless people, that means nomads also. It does not mean that we are excluding them. We are proud of what we have done during the last two or three years under the leadership of our hon. Prime Minister. There are lakhs and lakhs of houseless people. (*Interruptions*). No, I am not yielding. He has said whatever he wanted to say. Sir, apart from whatever Mr. Wajd has said, I have high regards for his ability, for his experience, for his poetry and also other things.

I think, Sir, he has seen the figures of what has been achieved after the launching of the 20 point programme. The first priority which we are giving in this is to giving houses to the houseless. That is agricultural labour and those who are without houses. Sir, up to this time, 70 lakh people have been provided with house sites. Not only that. We are seeing to it that actually their possession is given to those people who never had any house-sites up to this time and they should be able to build the houses there. When we talk of houses, I must say, in Delhi, when I was in the Housing Ministry, it was for the first time that we made a reservation of 20 per cent for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the flats which were being built by the DDA. We started separate reservations for the Harijans. Previously, a common list was being kept and, unfortunately, from the Janata houses and other houses, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes were not getting any houses. So, we made it a special thing that 20 per cent of the houses built by the DDA would be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they would get priority in that. Not only that, Sir, the money which was to be paid by them as first instalment or as registration fee was also reduced considerably. And there is no discrimination. For persons who are without houses, whatever possible is being done to give them houses so that they can also live a happy and contented life.

Sir, some other points have been made by the hon. Members. Shastriji made a point that there are separate schools for the Harijans. Sir, I should inform Shastriji that there are no separate schools. We allow other boys also to come to the Ashram school and schools which are opend for Harijans. But generally what happens is this. Mostly the schools which are opened for Harijans are in areas where their population is predominent. And as Mr. Makwana says in many of the schools, they have got 10 per cent reservation but many student do not come there. When we talk of untouchability, we do not want that. But still we should take certain steps by which this untouchability is not perpetuated. In schools and other places, we want that Harijan boys should be allowed to sit with other boys so that from he very beginnig this idea that they are untouchables is not there in their minds.

SHRI ABU ABRAHAM : What about the reservation of 20 per cent? You were saying that 20 per cent of the housing is reserved for Harijans. Could you please tell

us whether these houses will be separated for Harijans or will they be mixed houses ?

SHRI OM MEHTA : They will be mixed houses. This is only reservation. But it is not that we will fix certain blocks only for Harijans where the Harijans live. They will live with other communities in any colonies and wherever the houses are there.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : The question is :

"That the Bill to amend the Untouchability (Offences) Act, 1955 and further to amend the Representation of the People Act, 1951, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 17—Substitution of section 15.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : There is one amendment by Shri Kumbhare.

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, I did not have any opportunity to speak on the Bill. I am in entire agreement with the hon. Minister when he says that it is a really radical measure. The Bill is, no doubt, comprehensive and it is also more purposefull; I say the scope of the Bill is also enlarged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Are you moving the amendment?

SHRI N. H. KUMBHARE : I am just coming to the amendment. I am just making the opening remarks.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : May I know whether you are moving the amendment?

Would you like to speak on the clause ?

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, I move :

"That at page 8, after line 7, the following be inserted namely :

'A survey of the district will be conducted by Assistant Director of Civil Rights for locating the area of social disability in such manner as prescribed and shall submit a report as to the nature of untouchability being practiced and the extent of social disability to which the Scheduled Caste people are subjected.

Explanations : 'Area of social disability is a place or places where members of Scheduled Castes, on account of their subjection could not exercise their right, accrued to them, by reason of the abolition of untouchability under Article 17 of the Constitution.

(1) On receipt of the report from the Assistant Director and after making an enquiry as may deem appropriate and on being satisfied as to the situation existing at the place, the Director of Civil Rights will make a declaration specifying the area of social disability and other particulars as may be prescribed.

(2) The area of social disability having been so declared the Assistant Director shall proceed to take such steps and in such manner as may be prescribed to deal with the situation, and shall endeavour to persuade the dominant class through conciliation and seek to create condition so that the members of the Scheduled Castes do not suffer from any social disability provided the said area will be kept under observation for such period as may deem necessary. Provided further the period of observation will not be for a period exceeding six months.

(3) The Assistant Director of Civil Rights after having succeeded in his efforts in creating favourable conditions submit a report to the Director who will make a declaration accordingly, in the manner as may be prescribed.

[Shri N. H. Kumbhare]

(4) The Assistant Director of Civil Rights having satisfied that he has failed in his efforts to create favourable conditions to facilitate enforcement of rights by members of the Scheduled Castes, submit a failure report to the Director of Civil Rights. This report shall contain the particulars as may be prescribed including the names of the persons who are likely to commit or attempt to commit or abets the commission of an offence.

(5) (A) The Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction and specially empowered by the State Government in this behalf, will be given information of the persons referred to in the failure report by the Assistant Director of Civil Rights and the S.D.M. may require such persons to show cause why they should not be ordered to execute bond with surety for their good behaviour for such period not exceeding 3 years as the Magistrate may direct.

(B) The Provision of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall in so far as they are applicable apply to any proceedings under sub-section (1) as if the bond referred to therein were a bond required to be executed under section 110 of the said Code'."

The question was proposed.

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, formerly only practice of untouchability was forbidden but now not only practice but preaching of untouchability is also forbidden. If anybody preaches or practises now he will be dealt with and will come under the clutches of the Law. Therefore, I say that the scope of the Bill has been enlarged. It has been made more deterrent because these offences have now been made cognizable. It is also non-bailable. If anybody is found guilty the magistrate has no discretion except to send him to jail because the minimum jail sentence is one month.

Sir, I would be failing in my duty if I do not say a word about the good work of the Joint Select Committee which was presided over by Mr. S. M. Siddiah. Mr. Mirdha was the Minister in charge of the Bill. But for their-cooperation it would not have been possible to give such a good shape to it. I may however point out that it could have been made more comprehensive we could have incorporated a scheme by which we could locate the areas of untouchability and deal with those areas. It is essentially a matter which comes within the purview of the Central Government and we desire that the Central Government should set up a machinery to enforce these provisions. As has been pointed out by my friends, laws are there. But laws become dead letters if we do not set up an administrative machinery to enforce those laws and therefore we want them to take the entire responsibility in this behalf and Government should set up a machinery to enforce these provisions. Unfortunately that suggestion has not been accepted and the entire responsibilty has been transferred to the State Governments. Of course, under the Act itself the Central Government will make the rules whereby a duty will be cast on the State Governments to set up a machinery. I have stated that Government must make the entire provisions more explicit and, therefore, in regard to my amendment, I only want to cite an example. Even today if you go to a village there will be a well. If that well is located in a high caste locality, the Scheduled Caste people will not be allowed to fetch water from that well. So, according to me, it is an area of disability. Such areas have to be identified and located. Let the Government play a more positive role. I have suggested that an officer should be appointed under the Act. A duty will be cast on the officer to have a survey made to find out how many places are there where the Scheduled Caste people, even though they have got a right given under the Constitution, are denied those rights. The reasons are obvious. They know that they have got a right but they cannot muster courage to assert that right because they are in a minority, because they have to depend upon them. In such a case the officer will go and find out himself how the position is. He will make an enquiry and if he comes to the conclusion

that even though on the face of it there appears to be no discrimination, the caste Hindus are dominating and practising untouchability and preventing these people from taking water, suitable action should be taken.

So, in that case, under the survey, that area will be identified as an area of social disability. The Government will notify it and then there will be a stage of conciliation. As I said, the officer will go and try to bring about a conciliation and tell those elements that these are the provisions in the Act and that they must allow the scheduled castes otherwise they will have to suffer and go to jail. In that way, I think, people in the village will not be opposed to it. But, if there are certain elements still, the officer will make a note of those bad elements who are opposed to it and then he will make a report to the Director and the Director will file proceedings in the court. The court will then issue summons to them and tell them that they must create conditions whereby the Scheduled Caste people would have full freedom to go and fetch water. That is the scheme which is incorporated and I think it should be acceptable to Government.

Unfortunately, Sir, one of the important recommendations has not been accepted by the Government. It reads like this :

> "A public servant who shows any negligence in the investigation of any offence punishable under the Act shall be deemed to have abetted the offence punishable under this Act."

I know the reasons and that way I am convinced that if the Government is going in for a separate legislation providing for reservations for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, then such a provision could find a place. So, we would like to know from the hon. Minister whether such a legislation is under contemplation. And if so, when are we going to have it ?

SHRI OM MEHTA : Sir, I have already replied to points raised by the hon. Member. Whatever he has said with regard to recruitments and other things, I have already given an assurance that we are trying to see whether orders issued by our Ministry are being implemented or not. Still, if he finds that they are not being implemented, we will have to codify these orders and find out how a suitable legislation can be brought in. We can consider it only after taking stock of the whole thing.

Sir, I must tell Mr. Kumbhare that by article 17 of the Constitution, untouchability has been abolished and disability arising out of untouchability has been declared to be an offence. Under article 35(a), sub-section (ii), Parliament has the exclusive legislative competence to provide for punishment for enforcement of the disability arising out of untouchability. The Act in question, is, therefore, restricted to the above-mentioned constitutional provision.

Sir, in this particular Bill, we also have got some provision for the machinery for the enforcement of this Act. Under that provision, some officers will certainly be appointed who will be going to find out if there are certain places where the Harijans who are very poor or in minority, are not able to take the shelter of the law or are not able to go to those whom they can go for protection. These officers will report about those areas and, as you know, Sir, we have got a provision of collective fines from those villages and that action will be enforced. That provision has also been kept.

Sir, with these words, I oppose this amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Mr. Kumbhare, do you want to withdraw the amendment ?

SHRI N. H. KUMBHARE : Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : The question is :

> "That leave be granted to the Mover to withdraw the amendment."

The motion was adopted.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH): The question is:

"That clause 17 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 18 to 21 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI OM MEHTA: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER REGARDING BAN ON COW SLAUGHTER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, this morning, I promised that I will make a statement regarding the ban on cow slaughter. Though the subject is dealt with by the Agriculture Ministry, since it is the last day of the Session and since the concerned Minister is not here, I am making the statement on behalf of the Government.

Questions have been raised from time to time in Parliament regarding steps taken by various State Governments in regard to the implementation of the provision contained in article 48 of the Constitution relating, *inter alia* to ban on cow slaughter.

The Supreme Court has interpreted the effect of article 48 of the Constitution relating to prohibition of slaughter of cows and its progeny, as follows:—

(a) That a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves of cows and calves of she-buffaloes, male and female, is quite reasonable and is in consonance with the Directive Principles as laid down in article 48;

(b) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, or breeding bulls or working bullocks, as long as they are capable of being used as milch or draught cattle, is also reasonable and valid; and

(c) That a total ban on the slaughter of she-buffaloes, bulls and bullocks, after they cease to be capable of yielding milk or of breeding or working as draught animals cannot be supported as reasonable in the interest of the general public and is invalid.

The subject of preservation, protection and improvement of stock comes under Entry 15 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution and as such this is a State subject. Although the responsibility is of the States, the Centre has been advising them in the matter.

The present position in respect of restrictions on cow slaughter varies from State to State. Jammu & Kashmir, Haryana, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra (Vidarbha Region), Karnataka, Orissa, Chandigarh, Delhi, Dadra & Nagar Haveli, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands have completely prohibited cow slaughter. In Himachal Pradesh, Tripura and Manipur valley, there is a total ban either by tradition or under executive orders. There are only a few States and Union Territories, where there is either partial ban or no ban.

Information has now been received that States of Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam excluding hill districts of North Cachar and Mikir) and Tamil Nadu have decided to take appropriate measures to provide for ban on the slaughter of cows in terms of the Supreme Court's judgment. The States of Andhra Pradesh, Maharashtra and Assam would be amending the existing legislation whereas State of Tamil Nadu which is presently under President's Rule have issued an executive order prohibiting the slaughter of cows of all ages and calves (male and female) of cows. In Kerala, there is no legislation prohibiting the slaughter of animals. Only panchayat laws provide for prohibition of the slaughter of useful ani-